[Shrimati Renu Chakravartty]

Tribunal. The Kerala Bill has provided:

(a) fifty per cent. shall be assigned to the landless agricultural labourers of which one half shall be assigned to the landless agricultural labourers belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes residing in the same village or adjacent villages;

(b) thirty-five per cent. shall be assigned to small holders and other landlords who are not entitled to resume any land;

(c) the remaining fifteen per cent. shall be assigned to the cultivators who do not possess more than 5 acres of double crop nilam or its equivalent:

Provided that where the excess land that is available for assignment in either keyal or kole nilam, such land shall be assigned only to co-operative societies formed by landless agricultural labourers."

Some such thing should be there regarding distribution. Without that ceilings will not achieve the social objective for which we have undertaken them.

That is why I say I object to the wide powers which have been given to the executive. This is my main objection. Here is a small compact State, with the city of Delhi growing and growing and grasping the entire State almost. If we want to look after the interests of the rural people, especially the rural poor whose main income is from land, then we should not leave these things entirely to the Chief Commissioner, who, after all, is an official, an urban person, a person who is liable to be influenced by the City of Delhi. I feel that these large rule-making powers should not be left to the executive, but the principles should be actually incorporated in the Bill and the social objective of having ceilings, i.e. land distribution for the landless and poor peasants is brought about.

12.47 hrs.

STATEMENT *RE.* COMMONWEALTH PRIME MINISTERS' CONFERENCE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): with your permission, I want to make a short statement.

The Government of the United Kingdom have been in communication with the Government of India and other Commonwealth Governments about a meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London. It has now been arranged to hold a meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London beginning on 3rd May, 1960. The Prime Minister of India hopes to attend this meeting of Commonwealth Prime Ministers.

12·48 Hrs.

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) BILL—*contd.*

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब स्पीकर साहब, जो बिल यहां पर पेश किया गया है उससे ऐसा मालूम नहीं देता है कि दिल्ली के मामले को किसी खास उसूल पर तय करने की कोशिश की गई है । जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बिल को तैयार करने का आपका असली मकसद यह मालूम देता है कि यह एक माडल बिल हो ताकि और स्टेट्स के अन्दर भी इसी पैटर्न पर और बिल बनाये जा सकें । दिल्ली की जो स्टेट है, जैसा कि अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया है, दरअसल एक छोटी सी स्टेट है

है जिसके अन्दर ज्यादातर अर्बन लोग बसते हैं और बहुत थोड़े लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। जो यह बिल है इसके बारे में यह कहा गया है कि सिर्फ १६६९ एकड़ जमीन ही ऐसी होगी जो कि इसके फलस्वरूप सर्प्लस घोषित की जा सकेगी। मुझ को पता नहीं कि कहां तक यह बात दुरुस्त है लेकिन चूंकि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जब ये फिगर्ज दी जा रही थीं, इनके बारे में कोई एतराज नहीं किया और नहीं बताया अपनी तरफ से कि असली फिगर क्या है, इस वास्ते जो यह फिगर एक आनरेबल मैम्बर ने दी है इसको मैं सही मानता हूं। इस फिगर के बारे में उन्होंने डिसर नहीं किया है।

इसके अलावा यहां यह भी बताया गया है—श्री कजराज सिंह जी की तरफ से कि ऐसे आदमियों की तादाद जो कि ३० एकड़ से अधिक जमीन रखते हैं ४२ के करीब हैं और जो ६० एकड़ से अधिक रखते हैं उनकी तादाद सिर्फ छः है। अगर इतना सा मामला है तो मेरी समझ में नहीं आया है कि क्यों इतनी तकलीफ उठाई गई है, क्यों यह बिल बनाया गया है, क्यों इसको यहां पेश किया गया है और कैसे यह कहा जा सकता है कि यह बिल दूसरी स्टेट्स के लिये एक माडल बन सकता है। प्राबलैम कुछ नहीं है। १६६९ एकड़ जमीन सर्प्लस है। ४२ आदमी ऐसे हैं जिन के पास तीस एकड़ से अधिक जमीन है और छः आदमी ऐसे हैं जिन के पास ६० एकड़ से अधिक जमीन है। जब ऐसी हालत हो तो ऐसी स्टेट के लिये कोई माडल बिल नहीं बन सकता है और वह सारी कंट्री के लिये माडल बिल साबित नहीं हो सकता है और न उसकी आशा रखी जानी चाहिये। इसका कारण यह है कि दूसरी जगहों पर जो प्राबलैम हैं वे दिल्ली से बिल्कुल डिफरेंट हैं। दिल्ली के लोग कैपिटल के नजदीक रहते हैं, ज्यादा तर अपनी आमदनी अर्बन सोर्सिस से हासिल करते हैं और दूसरी स्टेट्स में यह प्राबलैम नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इस बिल को यहां लाने की कोशिश की गई है इसकी वजह कुछ और है; इससे दिल्ली का जो प्राबलैम है वह तय नहीं होता है। इस सैंस में दिल्ली का जो प्राबलैम है वह हल नहीं होता है। इस सैंस में यह बिल दूसरे प्राविंसिस के लिये कोई पैटर्न नहीं बन सकता है क्योंकि वहां की कंडिशंस बिल्कुल डिफैंट हैं।

जो भी हो, जिस तरह से यह बिल बनाया गया है और जिस तरह से कहा गया है और ख्याल किया गया है कि यह अमल में आएगा, वह ख्याल भी गलत है और वह दूसरी स्टेट्स के वास्ते पैटर्न नहीं हो सकता है। जैसा कि मेरी बहन रेणु चक्रवर्ती ने अभी कहा कि अगर यह सीलिंग इस लिये लगाई जा रही है कि इनकम को बराबर कर दिया जाए, डिसपैरिटीज को हटा दिया जाए, तो भला क्या दिल्ली की डिसपैरिटीज इससे हट सकती हैं। अगर डिसपैरिटीज ही हटती थीं तो ए और बी की क्यों तमीज की जा रही है, रूरल और अर्बन में क्यों फर्क किया जाता है। एक आदमी बड़े बड़े महलों में रहता है, एक एक मिनिस्टर तीन तीन हजार रुपया माहवार लेता है, ये भी तो डिसपैरिटीज हैं और डिसपैरिटीज अगर नहीं हैं तो और क्या हैं। करोड़ों रुपया एक आदमी की आमदनी है और कुछ की आमदनी तो इतनी है कि कुछ ठिकाना ही नहीं है। क्या वहां पर इन डिसपैरिटीज को हटाने की जरूरत नहीं है? इस तरह की डिसपैरिटीज सब स्टेट्स के अन्दर हैं। ऐसी हालत में रूरल एरिया के छोटे से तबके को निकालना और वहां पर मामले को, सोशल प्राब्लैम को इस तरह से तय करना बिल्कुल नाजायज है। मेरी समझ में नहीं आया है कि क्यों डिसक्रिमिनेशन किया जाता है। अव्वल तो डिसक्रिमिनेशन अर्बन और रूरल एरियाज का समझ में नहीं आता है और दिल्ली के अन्दर इस तरह का डिसक्रिमिनेशन यह तो और भी समझ में नहीं आता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कुछ अर्सा हुआ जैसा अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने फरमाया कितने ही ऐसे एरियाज हैं जिनको कि एक्वायर किया गया रिहैबिलेटेशन एक्ट के तहत और जब मामला हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो बिल बना था इस गर्ज से कि लोगों को मुनासिब मुआवजा न दिया जाए उसको ही रद्द समझा जाए और उसको रद्द कर दिया। उस बिल के रद्द होने के बाद जब पांचवां एमेंडमेंट आफ दी कांस्टीट्यूशन बिल यहां आया उस वक्त उन लोगों ने अर्जियां दीं, सब मैम्बरों के पास वे लोग पहुंचे और इस हाउस के अन्दर झगड़ा उठा और यह कहा गया कि क्यों इतना कम मुआवजा उन लोगों को दिया गया है। अब आप देखें कि जो मुआवजा इस बिल में प्रोपोज़ किया गया है वह उससे भी कहीं कम है। मैं तो कहूंगा कि यह सिर्फ आई-वाश है, यह कोई चीज नहीं है। उस वक्त जब वह बिल चल रहा था तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वह देखेंगे कि मुआवज़ा कम न रहे। जो वादे मिनिस्टरों की तरफ से यहां किये जाते हैं, मैं समझता हूं कि वे पूरे भी किये जाते होंगे। मैं समझता हूं कि कुछ जस्टिस किया गया होगा और मुआवज़ा भी कुछ अधिक दिया गया होगा।

दिल्ली के आसपास की ज़मीन दरअसल बहुत कीमती है। वैसे तो ज़मीनें सभी जगहों पर ऊंची कीमत पर बिक रही है लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है यहां पर ज़मीन एकड़ों के हिसाब नहीं बिकती हैं, स्क्वेयर गजों के हिसाब से बिकती है। यहां पर दिल्ली में ज़मीनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यहां पर ज़मीन की कीमत १५०० से २००० रु० एकड़ के करीब है। अगर यह कीमत सही है तो क्या मैं बड़े अदब के साथ पूछ सकता हूं कि फाइनेंशल मैमोरेंडम में जो १,१०,००० रुपये की रकम बतौर कम्पेंसेशन के देने के लिये रखी गई है, क्या वह काफी होगी? मेरे ख्याल में तो यह कुछ भी नहीं है, यह बहुत कम बैठती है। यह क्या कम्पेंसेशन हुआ। इसका मतलब तो यह है कि फिलवाका हमारी हकूमत के सामने उन गरीब लोगों के साथ जिन की ज़मीनें ली जाएंगी सख्त जुल्म करना है, डाका मारने की तरह का यह एक काम होगा। क्या वजह है कि जिस कुनबे के पास तीस एकड़ से ज्यादा ज़मीन है, उसको आप लूटना चाहते हैं उससे उसकी ज़मीन जबर्दस्ती छीनना चाहते हैं? क्या वह इतना ही बदकिस्मत है कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए क्या यह मुनासिब है? क्यों आप उसको इतना कम मुआवजा देते हैं? मैं समझता हूं कि यह अनकांशनेबल है, इट इज ए फ्राड अपान दी कांस्टीट्यूशन।

सारा मामला जो सीलिंग का है वह इस तरह का है कि उसके ऊपर कंट्री की ओपीनियनन्स डिवाइडिड हैं। अब आप देखें कि यह फैमिली क्या बला है, और क्या सीलिंग आप रखते हैं? सारे हमारे एक्ट में हमारे लैजिस्लेशन में आप सिंगल इंडिविजुअल को ही मानते हैं, उसको एंटिटी मानते हैं, फैमिली को आपने इंडिविजुएल करार नहीं दिया है। आप इनकम टैक्स असेस करते हैं, और जिनको वह अदा करना होता है, उनसे आप इंडिविजुअल के तौर पर ही लेते हैं, फैमिली के तौर पर नहीं। आप इनकम टैक्स फैमिली से वसूल नहीं करते हैं। उसमें आप इंडिविजुअल को एंटिटी मानते हैं। जहां तक हिन्दू ज्वायंट फैमिली का ताल्लुक है उसके ऊपर कितना ही झगड़ा चला है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने प्रामिज़ भी किया है कि वह एक कमेटी मुकर्रर करेंगे। जब आप इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को एंटिटी मान कर चलते हैं तो जहां तक ज़मीन का ताल्लुक है उसको छोड़ कर आपने फैमिली को यूनिट बनाया है। अब फैमिली किस तरह से यूनिट बन सकती है? फैमि [illegible]

होती हैं ? जब किसी की शादी हो जाती है तो वह फैमिली बन जाती है फिर चाहे बच्चे हों या न हों या तीन चार बच्चे ही क्यों न हों। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी भी हुकूमतें हिन्दुस्तान में ला के मुताबिक चली हैं, इंडिविजुअल को ही माना गया है फैमिली को नहीं। हमारी कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी इंडिविजुअल का जिक्र आता है, परसन का जिक्र आता है, फैमिली का जिक्र नहीं आता है कहीं पर भी।

ऐसी सूरत में फैमिली को जमीन दी जाये, यह इनहरेंटली रांग है और वह चीज फिलवाका ऐसी है जिसमें खराबी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। हमने एक तजवीज निकाली थी कि औरत और मर्द बराबर हों, उनके बराबर हकूक हों। औरतों को हिन्दुस्तान में जो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बनाने की बात है उसकी इस कानून में सख्त मुखालिफत है। आपने जो दफा ३ में कहा है उसमें आपकी मंशा क्या है ? आपने वहां पर कहा है कि जिसकी बीवी हो, जिसके चिल्डरन हों और चिल्डरन न भी हों, फैमिली हो, उसके बारे में आपने लिखा है:—

"No person either by himself or, if he has a family together with any other member of his family (hereinafter referred to as the person representing the family) shall, whether as a Bhumidar or an Asami....hold land in excess of thirty standard acres in the aggregate."

इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी जिस की बीवी है, जिसके बच्चे हैं, आंड चिल्डरन हैं, वह तीस एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकेगा और वह अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी बीवी और उसके डिपेंडेंट चिल्डरन चाहे वे बड़े हों या छोटे, चाहे मेजर हों या माइनर, एक तरह से अब उसमें मर्ज कर दिये जायेंगे और वह उनको रिप्रेजेंट करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो ३० स्टैंडर्ड एकड़ आप देंगे या उसके नाम कर देंगे, अगर उसकी बीवी के पास जायदाद है और ऐसे बहुत केसिस हैं जिनमें बीवी के पास, बच्चों के पास बड़े लड़कों के पास अपने पास अपने बाप की जिन्दगी में जायदादें होती हैं, ऐसी सूरत में अगर उन पांचों को आपने ३० स्टैंडर्ड एकड़ दे दी और उस फैमिली को रिप्रेजेंट कराया परसन से और उस आदमी को वह रुतबा दे दिया, वह स्टेटस दे दिया जो कि वह डिजर्व नहीं करता है, तो इससे बहुत सी खराबियां पैदा होंगी। कौन शख्स कह सकता है कि अपनी बीवी का भी वही रिप्रेजेन्टेटिव है ? क्या बीवी को यह अख्त्यार नहीं है कि अपने आप को वह रिप्रेजेन्ट करे या किसी और से कराये ? आपने इसको इस तरह का रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर दे दिया है। इस के माने यह हैं कि अगर बीवी के पास ५० एकड़ जमीन है, जो उसके बाप के पास से उसके पास आई है, या उसने अपने आप खरीदी है तो वह ५० एकड़ जमीन, खाविन्द की जमीन और लड़कों की जमीन जो है उस सब को पूल कर दिया जायेगा और पूल करने के बाद ३० एकड़ उस एक आदमी के नाम कर दी जायेगी। बाकी का क्या होगा ? बाकी जमीन सरकार की होगी। यानी बीवी की जमीन, बच्चों की जमीन जो भी वह बगैर किसी हिचक के सारी की सारी कांफिस्केट करके ले ली जायेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर यह कौनसा कानून है, किस उसूल के नीचे, किस लाजिक के नीचे आप औरतों और सारे मेजर माईनर चिल्ड्रेन की जायदाद कांफिस्केट कर लेंगे ? एक आदमी से आप कहते हैं कि तुम्हारे पास ३० एकड़ जायदाद है तुम सब के मालिक हो। मान लीजिये कि उसके चार लड़के हैं, उनके पास जमीन है तो उन बच्चों का क्या बनेगा ? आप उन बच्चों को क्या देंगे ? यह इस ऐक्ट में दर्ज नहीं है कि अगर आप एक फैमिली को ३०

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एकड़ देंगे तो आप सबको प्रोपोर्शनेट जमीन देंगे या नहीं । फैमिली के दूसरे आदमी क्या करेंगे, यह ऐक्ट इसके बारे में साइलेंट है । अगर एक आदमी के पास ३० एकड़ जमीन हो जायेगी तो उसके मरने के बाद जमीन का क्या होगा ? वह उसके वारिसान के पास जायेगी । तब उसके वारिसान के पास अलग अलग टुकड़े हो जायेंगे या जितने वारिसान हैं जिन की जमीन को आपने लिया है उनको भी उसी ३० एकड़ में से दिया जायेगा ? अगर उसी ३० एकड़ के हिस्से किये जाते हैं तो जिस आदमी के चार लड़के हैं उनमें से हर एक के पास साढ़े सात एकड़ हो जायेंगे । लेकिन जो बीवी थी जिसकी सारी की सारी जमीन आपने कांफिस्केट कर ली जो कि ५० एकड़ थी, उसको भी सिर्फ साढ़े सात एकड़ जमीन मिलेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह का कानून है। मैं कहना चाहता हूं कि यह किसी तरह से कानून के मुताबिक नहीं है । प्रपोर्शनेटली ली हुई जमीन को ही प्रपोर्शनेटली उन के नाम किया जाना चाहिये । फिर जिस आदमी के पास ३० एकड़ जमीन होगी वह तो उसे बेच सकेगा, आप ने उसका राइट छीना नहीं है । लेकिन आज आप एक अजीब तरह का कानून बनाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी प्रापर्टी को अपने लड़कों और औरतों के नाम करता है तो, जैसा मेरी बहन ने अभी कहा, वह मैलाफाइडी ट्रांसफर हो जायेगा । मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिसने ऐसा किया है और शायद इस हाउस के कम से कम १०० मेम्बर ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा कर दिया । लेकिन आखिर हमने क्या गजब कर दिया ? जिस जमीन में सारी फैमिली का हक था, खुसूसन ज्वायंट फैमिली में, उसमें लड़कों का हक इन्हेरेंट राइट होता है । आप उनको यह हक क्यों नहीं देना चाहते? क्या सारे हिन्दू बच्चों का हक मारना चाहते हैं अगर आज यह लोग जायदाद का बटवारा चाहते हैं तो आप क्यों हुज्जत करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैलाफाइडी ट्रांसफर का जिक्र पहले इस हाउस में किया है । उन्होंने कहा था कि यह मैलाफाइडी ट्रांसफर नहीं है । अगर एक आदमी अपनी बीवी के नाम, अपने लड़कों के नाम जायदाद करा दे तो किसी तरह से मैलाफाइडी ट्रांसफर नहीं है । यह पूरे इंसाफ का रास्ता है । फिर यहां मैलाफाइडी ट्रांसफर का ही सवाल नहीं है । क्यों नहीं आपने यह हुक्म दे दिया कि फलां तारीख के बाद कोई आदमी अपनी जायदाद को रेहन वे नहीं कर सकेगा । अगर उस की जद में भी कोई जायदाद नहीं आती है तो आप इस ऐक्ट को ही ऐप्टी डेट कर रहे हैं । उसके बाद के सारे ट्रांसफर्स नाजायज करार दे दिये जायेंगे । यह बहुत गलत चीज है । आप किसी शख्स को जायदाद को ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं लेकिन जो आप खास तारीख की बात कहते हैं यह गलत है, उसूलन गलत है, आप जस्टिस के साथ खेल कर रहे हैं, यह बेइंसाफी है । कौन कह सकता है कि यह इन्साफ है इसलिये ऐसी बात रखना कानूनन गलत है, इन्साफ से गलत है, मारली गलत है, ईक्विटेबली गलत है ।

13 hrs.

अब सवाल पैदा होता है कि सीलिंग करनी चाहिये या नहीं । मैं सीलिंग के खिलाफ नहीं हूं । जब हमने लोगों की कंसेंट से जमींदारी खत्म की, जब हमने इंटरमीडियरीज को खत्म किया, जो जमीन को बोते नहीं, उससे फायदा उठाते हैं बगैर काम किये हुए, उनको आपने खत्म किया, और हम सब लोगों की मंशा से खत्म किया, कांस्टिट्यूएंट असेम्बली के हुक्म से खत्म किया तब वह एक शानदार काम था । लेकिन जब सीलिंग्स का मामला आया, और उस वक्त जब यह मामला चल था, मैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान

करना चाहता हूं, वह समझने के वास्ते कि कि हम जो करने जा रहे हैं वह दुरुस्त है या नहीं उस वक्त सोचा गया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर लाखों पेजेन्ट प्रोप्राइटर्स होंगे जो अपनी जमीन आप बोयेंगे और पैदावार करेंगे क्योंकि यह हयूमैनिटी का तजर्बा है कि जहां पेटिटक्लचर होता है वहां पैदावार सबसे अच्छी होती है । चुनांच मैंने अमेंडमेंट कांस्टिट्युएंट असेम्बली में रक्खा उसमें था कि अगर सरकार पेजेन्ट प्रोपर्टी की जमीन लेना चाहे बगैर मुआवजे के तो वह एप्रोप्रिएशन होगा । वहां यह रहना चाहिये कि कितना मुआवजा होगा । चुनांचे वहां यह सवाल आया । वहां जो कुछ हुआ मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूं । सन् १९५१ के कांस्टिटयूशन अमेंडमेंट ऐक्ट में जो सन् १९५५ में अमेंडमेंट आया तो उस की दफा २४ को दफा ३१ बनाया गया । जब हम ने उस को चेन्ज किया तो हाउस में कई एक ऐश्योरेंस दिये गये गवर्नमेंट की तरफ से । मैं उन की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । जब हम ने पंजाब की तरफ से एतराज किया जिस वक्त कांस्टिटयूशन को तब्दील किया जा रहा था कि पंजाब में एस्टेट की तारीफ ऐसी है कि उस के अन्दर एक इंडिविजुअल होल्डिंग आ जाती है उसके लिये साफ तौर पर श्री रणवीरसिंह ने मेरे इशारे पर एक अमेंडमेंट दिया तो अम्बेडकर साहब ने हाउस में ऐश्योरेंस दिया कि जब इंडिविजुअल का सवाल आयेगा तो मैं सेंट्रल ऐक्ट पर प्रेजिडेंट की मंजूरी नहीं होने दूंगा , अगर इस तरह की बात आई जिस में एक्सप्रोप्रिएशन का वास्ता आये । जब यह सन १९५१ का ऐक्ट बना उस में भी साफ तौर पर कहा गया कि इतना कम मुआवजा नहीं होगा । मैं पंडित नेहरू के वर्ड्स कोट करना चाहता हूं । जब कम्पेन्सेशन का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि कम्पेन्सेशन ऐडिक्वेट होगा । इधर हमारे हसन इमाम साहब बैठते थे, उनके एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि एडिक्वेट कम्पेन्सेशन दिया जायेगा । इस पर उन की स्पीच हुई थी । जब सन १९५५ में दफा ३१ बनाई गई तो उन्होंने फिर फरमाया :

"Compensation shall be adequate, shall be equitable, shall be just"

यह तीन लफ्ज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कहे हुए हैं कि अच्छा कम्पेन्सेशन दिया जायेगा बल्कि मिसाल देने में कहने लगे कि मुमकिन है वह १०० परसेन्ट न हो, मुमकिन है वह ८० परसेन्ट न हो, लेकिन वह ६० परसेन्ट से आगे नहीं गये ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की राय प्लैनिंग कमिशन और हमारी गवर्नमेंट मानती तो देश में इतना कोहराम न मचता जो आज मचा हुआ है । मुझे पता नहीं है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब या डिप्टी होम मिनिस्टर साहब को इस का इल्म है या नहीं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि सीलिंग के बारे में गांवों में और बहुत से इलाकों के अन्दर एक बड़ी भारी गलतफहमी फैली हुई है और साथ ही बड़ी भारी डिस्सैटिस्फैक्शन फैला हुआ है । हर एक आदमी आज तंग है । पंजाब के अन्दर तो कई एक सुसाइड के केस हो गये क्योंकि जिस के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन थी और उस के दो तीन लड़के थे वह चाहता था कि कुल जमीन लड़कों के नाम कर दे, आज उस के रास्ते में रुकावट डाली जाती है । कहा जाता है कि तुम्हारे लड़कों को जमीन नहीं देंगे । आज वह मर जाय तो जमीन लड़कों को मिल जायेगी, लेकिन अगर आज न मरे, कुछ दिन और जिन्दा रह गया तो सारे कुनबे के तमाम डिपेन्डेन्टस को मिला कर ३० एकड़ जमीन मिलेगी । अगर एक आदमी है तो उस को भी ३० एकड़ और कई आदमी हैं फैमिली में तो उन सब के लिये भी ३० एकड़ । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मामले को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ठीक कीजिये और इस तरह से न बढ़िये जिस तरह से आज आप बढ़ रहे हैं। आप लाजिक को तो मुलाहजा फरमाये। अगर एक आदमी है जो कि बैचेलर है या अकेला है तो उस को भी ३० एकड़ अगर उस की बीवी है तो उन दोनों को ३० एकड़। यूक्लिड की पहली चीज़ जो है कि **"होल ईज़ ग्रेटर दैन दि पार्ट"** आप ने उस को भी गलत कर दिया। अगर फैमिली में पांच आदमी हों तो भी ३० एकड़। यह कौन सी लाजिक है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि मैं इस अरिथमेटिक का क्या करूं कि एक आदमी हो तो ३० एकड़, पांच आदमी हों तो भी ३० एकड़, अगर बीवी हो तो मियां बीवी दोनों के लिये ३० एकड़ है जिस में वह गुजारा करें। क्यों किस वजह से? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शायद कोई मुल्क ऐसे हों जहां एक एक एकड़ से पैदावार ज्यादा होती हो, हमें बताया गया कि जापान में एक एकड़ से बहुत ज्यादा पैदावार होती है, और शायद वहां पर सीलिंग इस से भी कम हो, लेकिन कितने ही हमारे जैसे मुल्क हैं जिनमें कोई ऐसा नहीं है जिस में इतनी थोड़ी सीलिंग हो जितनी यहां रक्खी गई है। इसकी वजह से देश के अन्दर बड़ा भारी कोहराम मचा हुआ है। हमने अखबारों में पढ़ा, शायद आंध्र के लोगों ने कहा कि हम ३६०० रु० कमात नहीं कर सकते, उन्होंने ५४०० रु० अपने लिये मुकर्रर किये हैं या करने जा रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूंगा अगर सारे हिन्दुस्तान में किसी तरह से एक यूनिफार्म सीलिंग हो जाय, एक यूनिफार्म चीज बने क्योंकि हम हिन्दुस्तान में डिमाक्रेसी भी चाहते हैं, ईक्वैलिटी भी चाहते हैं। लेकिन आज हमारे यहां मुख्तलिफ हालात हैं, आज हिन्दुस्तान के एक प्राविंस में और दूसरी प्राविंस में रूरल हालात एकसां नहीं हैं तब एक ही तरह की सीलिंग सब जगह रखना मनासिब नहीं होगा। जब आप ने कल त्रिपुरा का बिल पास किया तो सीलिंग २५ एकड़ रक्खा, मणिपुर और त्रिपुरा के लिये आप ने २५ एकड़ की सीलिंग रक्खी है। एक एक फैमिली की बेसिक होल्डिंग आप ने २.५ एकड़ और ६.४ एकड़ रक्खी है। पंजाब के अन्दर हर एक मजदूर, हर एक ऐग्रिकल्चर लेबरर आज ८० रु० से कम नहीं कमाता है, कोई भी शख्स इस से कम नहीं कमाता।

अब यह जो आपने तीस स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग लैंड होल्डिंग्स् पर रक्खी है तो उसका नतीजा वही होने वाला है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह तो डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावरटी है और वही चीज हम यह सीलिंग रख करके करने जा रहे हैं। यह पोलिटिकली बिल्कुल गलत है और इलैक्शन्स के अदर कोई गांव वाला नहीं आ सकेगा और वह पक्के मकान नहीं बना सकेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। मुझे यह कहने में जरा भी तामुल नहीं है कि यह सीलिंग थोड़ी है और इतने कम लैंड पर सीलिंग नहीं लगानी चाहिये थी ....

श्री यू० बं० जैन (कैथल): आप कितने पर सीलिंग चाहते हैं? कितनी सीलिंग होनी चाहिये आपकी राय में?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मुझे उसके बतलाने म कोई तामुल नहीं है और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस हाउस ने एक बी० कमेटी बिठाई थी और उसका मैं चेयरमैन था। यह कमेटी उस वक्त बैठी थी जब कि हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान शुरू होना था। करीब १०० के उस कमेटी बी० में मेम्बर्स थे। उस कमेटी ने इस के बारे म विचार किया था और इसकी रिपोर्ट पढ़ने से आपको मालूम हो जायगा कि मैं क्या चाहता हूं। उसमें मोस्ट आफ दी मेम्बर्स की यह राय थी कि यह ३० एकड़

की सीलिंग बहुत थोड़ी है । जहां तक सीलिंग रखने का सवाल है तो सीलिंग के मायने हैं हाइएस्ट पौसिब्ल जिसके कि रखने की इजाजत हो । लेकिन अगर आप ३० एकड़ पर ही सीलिंग रखने का इसरार करते हैं तो मैं खुश हूंगा अगर आप हर एक को ३० एकड़ लैंड इनश्योर कर दें ।

(*Interruptions*)

Mr. Speaker: What is the matter?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Nothing Sir, I was going out.

Pandit Thakur Das Bhargava: It is better that you go out. I cannot prohibit that.

मैं जानता हूं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि कितने ही ऐसे आदमी हैं जिनके पास केवल डेढ़ एकड़ या दो एकड़ ही जमीन है या किन्हीं के पास तीन एकड़ तक है तो क्या आप उन लोगों को तीस एकड़ जो सीलिंग रखने जा रहे हैं देने के वास्ते तैयार हैं ? सीलिंग के मायने हाइएस्ट पौसिब्ल होने चाहिये । हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने राज्य सभा में बड़े जोर शोर से कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में प्रोडक्शन बढ़े और उन्होंने कहा कि उसके लिए मिकैनिकल कल्टीवेशन किया जाय । उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्होंने चार चीजें आवश्यक बताईं । इर्रीगेशन हो, फर्टिलाइजर्स हों, सीड्स हों और मिकैनिकल कल्टीवेशन हो । अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या तीस एकड़ में मिकैनिकल कल्टीवेशन मुमकिन है ? ट्रैक्टर से आप खेती करने के लिये कहते हैं तो एक ट्रैक्टर के वास्ते १०० एकड़ जमीन होनी चाहिये । अब जो मेरे दोस्त पूछते हैं कि इसके अन्दर क्या सीलिंग हो तो मुझे यह कहने में जरा भी तामुल नहीं है कि मेरे खयाल में सीलिंग दरअसल में आमदनी पर निर्भर करती है । अगर दो एकड़ पर इतनी आमदनी होती है कि कि बड़े अच्छे तरीके से अपनी गुजर चल सके और जो स्टन्डर्ड आफ लिविंग हम चाहते हैं उस पर वह चल सके तो मुझे दो एकड़ पर भी सीलिंग लगाने पर कोई ऐतराज नहीं होगा । इसलिये सवाल आमदनी का है और मैं तो कहना चाहूंगा कि दस हजार रुपये सालाना की गांव वालों को आमदनी की इजाजत होनी चाहिये और दस हजार की उनको जरूर इजाजत देनी चाहिये जब तक कि आप सारे देश के वास्ते कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं करते हैं ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : ८०० रुपये महीने के हिसाब से कर दें जिनको ८०० रुपया महीना मिलता है उन पर इसको लगा दें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि इस मामले पर संजीदगी से सोचा जाये । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब मुआविजे का मामला चला, तो लड़ाई के जमाने में मिलिट्री ने गांव वालों की जमीनें ली थीं तो यह कह दिया गया था कि उन्हें जमीन की आधी कीमत दे दी जाय तो मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस हाउस के बहुत से मेम्बर्स अपनी आधी जायदाद गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं ? इसलिये मैं तो कहूंगा कि जो चीज हम अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते उसको हम उन गांव वालों के ऊपर क्यों ठूंसना चाहते हैं ? हम लोग तो आये दिन गवर्नमेंट से एरियर के भत्ते के वास्ते झगड़ते रहते हैं और हम मांग करते हैं कि हमको और ज्यादा भत्ता मिला करे, और ३०, ४० रुपये काफी नहीं है । अब यह कहां का इंसाफ है कि गांव वालों की यह सीलिंग लगा कर इतनी कम आमदनी कर दी जाय जिससे उनकी गुजर न चल सके न पक्के मकानों में रख सकें और न बच्चों को तालीम दे सकें और न आगे तालीम के वास्ते भेज सकें । उसूलन यह गलत है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है और दिल्ली के अन्दर तो बिलकुल गलत है। अब दिल्ली में ४२ आदमी जिनके कि पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है और ६ आदमियों के पास ६० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो इन लोगों ने क्या कसूर किया है जो आप उनकी जमीनें इस मुआवजे पर ले लें ?

श्री मू० चं० जैन : ४२ लाख से बढ़ कर आपको ४२ का दर्द ज्यादा मालूम होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे आपका दर्द ज्यादा है जो कि अपनी जायदाद को इस तरह रखना चाहते हैं और दूसरों की जायदादें छीनना चाहते हैं। आप इस देश के अन्दर एक इस तरह की पद्धति कायम कर रहे हैं जो दरअसल गावों के अन्दर बड़ा डिस्सैटिसफैक्शन पैदा कर रही है। मैं समझता हूं कि मेरी राय से चन्द मेम्बर साहबान जो कि इंटरप्ट कर रहे हैं, मुत्तफिक नहीं है। मैं उनको उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिये कहूंगा जिसका कि मैंने जिक्र किया। उसमें मोस्ट आफ दी मेम्बर्स ने यह ३० एकड़ की सीलिंग को नापसन्द किया था....

श्री मू० चं० जैन : कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है वह कहां गया ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला हमारे सिर पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला कहां गया जिन्होंने कि दसियों दफे यह फरमाया है कि हम डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावरटी नहीं चाहते । हम तो चाहते हैं कि पीस एंड प्लैंटी हो। अब गवर्नमेंट ४० परसेंट इर्रीगेशन गारंटी देती है तो ३० एकड़ में ३६०० रुपया नहीं मिलेगा और ३०० रुपया एक आदमी की हाइऐस्ट इनकम हुई तो अब ३०० रुपया से ज्यादा तो शहर का एक मामूली से मामूली आदमी भी हासिल कर लेता है। दरअसल यह जो फैमिली सीलिंग की बात है यह बिलकुल गलत है और यह जिस तरह की सीलिंग लगाई है यह दुरुस्त नहीं है।

इसके अलावा अब इसमें यह लिखा है कि आइन्दा जो लोग मर जायेंगे उनकी जायदाद गवर्नमेंट में वैस्ट होगी। अब हिन्दू ला, मुस्लिम ला, इंगलिश ला, क्रिश्चियन ला दुनिया भर के ला में आप पायेंगे कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी जायदाद फलाने फलाने को जायेगी ऐसा उनमें लिखा हुआ है और अगर कोई भी उसका पाने वाला नहीं रहेगा तब ही वह जायदाद स्टेट के अन्दर जायेगी। अब यहां पर उसकी जायदाद का क्या होगा ? जाहिर है कि अगर तीस एकड़ है तो उसकी जायदाद सीधे गवर्नमेंट को जायगी और किसी को नहीं जायेगी। फर्ज कीजिये कि किसी के चार लड़के है तो वह जाकर साढ़े सात सात एकड़ हुई और उस केस में क्या होगा। जो उनकी जमीन थी वह तो सीलिंग में चली गई और उनकी कोई जायदाद नहीं रहेगी भले ही उनका बूढ़ा बाप एक वर्ष के बाद मर जाय। साढ़े सात एकड़ रह जायगी और अपनी जायदाद जाती रहेगी। कम से कम आपको इन चीजों का बिल बनाते समय ध्यान रखना चाहिये था और उसका कुछ इलाज सुझाना चाहिये था। आपको इसमें लिखना चाहिये था कि इनको प्रपोर्शनेट मिलेगा।

इसके अलावा जो इसकी स्कीम है उसको जरा मुलाहिजा फरमायें। अभी मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने केरल बिल की तरफ हवाला दिया। मुझे अफसोस है कि मैं केरल बिल के बहुत से सैक्शंस से वाकिफ नहीं हूं लेकिन मैं खुश हूं कि वहां की कम्यूनिस्ट सरकार ने भी कम से कम सिविल कोर्टस को यह काम सौंपा है कि कम्पेंसेशन सम्बन्धी मामलों को तय करें।

रेवेन्यु और एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के हाथ में मुआविजे के मामले तय करने का अधिकार नहीं छोड़ा है। मैं भी इसका हामी हूं कि यह काम सिविल कोर्ट्स को दिया जाय। अब यह कहां का इन्साफ है कि एक आदमी के लिये भी ३० स्टैन्डर्ड एकड़ है और दस आदमियों के वास्ते भी ३० ही एकड़ सीलिंग रखी जाय . . . . . .

श्री र० सिं० दौलता (झज्जर) : केरल में फैमिली कंसिडरेशन रखा गया है कि कितने आदमी हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप केरल से ज्यादा वाकिफ हैं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक हकूक का सवाल है मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के मुआविजे के मामलों का सारी दुनिया में सिविल कोर्ट ही फैसला करते हैं और यह मुनासिब भी है कि उन्हीं के जरिये इनका फैसला हो। आज क्या चीज है ? मेरी एक एकड़ जमीन भी अगर सरकार ले तो उसके वास्ते ऐक्विजीशन आफिसर जाकर अपनी रिपोर्ट देता है कि उसको इतना मिलना चाहिये और फिर मुझे अधिकार है कि अगर मैं उसके फैसले से सहमत न होऊं तो मैं जाकर सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकता हूं और मैं यह दरख्वास्त कर सकता हूं कि मेरा मुआविजा कम है और चुनांचे मैंने एक मुकदमा सिविल कोर्ट में इस बारे में किया हुआ भी है और सिविल कोर्ट ही यह फैसला करेगा कि मुझे कितना मुआविजा मिलना चाहिये। लेकिन इस बिल के जरिये सिविल कोर्ट्स का यह अख्तियार छीना जा रहा है। हमारे पंजाब के रेवेन्यु ला में यह प्राविजन है कि अगर किसी की जमीन सरकार ऐक्वायर करे और उसको मिलने वाले मुआविजे से असन्तोष हो तो वह सिविल कोर्ट में जाकर अपने राइट्स को डिटरमिन करा सकता है। राइट्स का डिटरमिनेशन सिविल कोर्ट्स करते हैं लेकिन आज आपने इस एक्ट के अन्दर जो हमारा सिविल कोर्ट्स में जाने का ओरीजिनल राइट है उसको भी एक तरह से छीन लिया है और यह काम डिप्टी कमिश्नर और कम्पीटेंट अथारिटी जो कि रेवेन्यु आफिसर होगा उसके जिम्मे यह मुआविजे का फैसला करना रख दिया है। अब मुआविजा जो इस बिल के जरिये उनको मिलने वाला है उसका मैं जिक्र करूं तो आप सुन कर हैरान हो जायेंगे। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो फर्स्ट २५ एकड़ फालतू जमीन लेगी वह लैंड रेवेन्यु का ४० गुना होगा, नेक्स्ट २५ एकड़ के लिये लैंड रेवेन्यु का ३५ गुना दिया जायेगा और उसके बाद के २५ एकड़ लैंड के लिये लैंड रेवेन्यु का तीस गुना होगा। उसके बाद २५ एकड़ एक्सेस लैंड के वास्ते मुआविजा लैंड रेवेन्यु का २५ गुना होगा और बाकी एक्सेस लैंड के लिये लैंड रेवेन्यु का बीस गुना होगा। मेरे खयाल में दिल्ली में यह २० गुने की शायद किसी को मिलने की नौबत नहीं आयेगी और परमात्मा करे कि न आये और अच्छा है कि सरकार को ज्यादा जमीन मिल सके। लेकिन यह ४० टाइम्स क्या चीज है क्या होम मिनिस्टर साहब मुझे मेहरबानी करके बतलायेंगे कि यहां पर लैंड रेवेन्यु कितने आने पर एकड़ लिया जाता है ?

गृह मानतीय अवर : ढाई रुपया ज्यादा से ज्यादा होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आठ आने या ६ आने के करीब होता है। वह फरमा सकें तो बेहतर होगा। मुझे तो थोड़ी सी शिकायत है, माफ करेंगे मिनिस्टर साहब। उन्होंने हमको यह भी नहीं बताया कि दिल्ली में ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले या ६० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले कितने काश्तकार हैं, और वह इस मामले पर हमारी राय चाहते हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब फर्ज कीजिये कि अगर ६ आना या आठ आना हो तो एक एकड़ पर २० रुपया मुआवजा मिलेगा, जो कि चालीस गुना होगा।

चौ० रणबीर सिंह : यह ६ आने बीघा होता है।

Mr. Speaker: Order, order. If the hon. Member is interrupted the reporters cannot take down the speech.

There are others also to speak.

Shri D. C. Sharma: I also want to speak.

Ch. Ranbir Singh: I have been trying also.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो जनाब वाला, हम सुनते हैं कि दिल्ली में जमीन की कीमत १२०० और १४०० फी एकड़ से लेकर दो ढाई हजार फी एकड़ तक है। अगर आप आठ आने के हिसाब से मुआवजा देंगे तो एक एकड का ज्यादा से ज्यादा २० रुपया देंगे। और ठीक है, आप इतना ही देना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक लाख दस हजार तो कुल मुआवजा रखा है। ऐसी हालत में लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन के लिये जिसको उन्होंने अपने बाप दादा से इनहैरिट किया है क्या मिलेगा। उनकी जमीन खोस ली जायेगी और उनको २० रुपया फी एकड़ दिया जायेगा। क्या यह कम्पेन्सेशन है। तो मैं अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह मुआवजा ठीक नहीं है। यह तो कांस्टीट्यूशन पर फ्राड है।

इसके अलावा आप मुलाहिजा फरमायें, कि किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। मैं जनाब की तवज्जह इस बिल के क्लाज १ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके सब क्लाज २ ए में यह दिया गया है

"It shall not apply to the areas which immediately before the 1st day of November, 1956, were included in a municipality or in a notified area under the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911 or in a cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924; the areas owned by the Central Government or any local authority; and the areas held and and occupied for a public purpose or for a work of public utility and declared as such by the Chief Commissioner or the areas acquired under any enactment relating to the acquisition of land for a public purpose."

जनाब वाला, मेरी अदब से गुजारिश है कि इन चीजों को निकाल लेने के एक ही माने हैं कि आप इस कानून को सिर्फ रूरल एरियाज में ही नाफिज करना चाहते हैं। जो जमीन कैंटोनमेंट्स में और म्युनिसिपल एरिया में है वह तो सेक्रोसेंक्ट है। चीफ कमिश्नर जिसको कह दे कि यह पबलिक परपज के लिये है वह जमीन तो बच जायेगी बाकी नही बचेगी। आपने इसमें गोशाला की जमीन को भी नहीं बचाया है, न क्रिमेशन ग्राउंड को बचाया है और गांव के कामन परपज के लिये जो जमीन है उसको भी आपने नही बचाया है।

और मुलाहिजा फरमाइये कि आपने एक्सप्लेनेशन में क्या ब्यूटीफुल मेंटेंस रखा है। वह इस तरह है :

"*Explanation:*—In the case of a company, an association or any other body of individuals, the ceiling limit shall be thirty standard acres."

जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर कोई एसोसिएशन है गोशाला की या कोई किसी चैरिटेबल काम के लिये जमीन है उसके लिये भी आपने यही लागू कर दिया है कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। सबके लिये एक ही रास्ता रखा है, टके सेर भाजी और सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा।

चौ० रणवीर सिंह : डेग्ररी फार्म को एग्जेम्प्ट किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बिल में तो नहीं है।

एक माननीय सदस्य : २६ में है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह तो उनमें है जिनको कि चीफ कमिश्नर एग्जेम्प्ट करेगा। उसमें भी लूपहोल हैं। उनको मैं भूला नहीं हूं। लेकिन जहां तक इस क्लाज १ का सवाल है उसमें डेग्ररी फार्म को शामिल नहीं किया गया है।

Mr. Speaker: The hon. Member must conclude now. He has taken sufficient time. He may take a few more minutes.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं जनाब की खिदमत में यह ग्रर्ज कर रहा था कि जो चन्द बातें मैं ने ग्रर्ज की है उनके ग्रलावा भी मैंने ४१ ग्रमेंडमेंट ग्राफिस को भेजे थे। उन्होंने उनको इसलिये शाया नहीं किया कि यह बिल ज्वाइंट कमेटी को जाने वाला है।

Mr. Speaker: All the amendments that have been tabled to this Bill will be sent to the Joint Committee for consideration.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ग्रदब से ग्रर्ज करना चाहता हूं कि ग्रगर ग्राप इंडिविजुग्रल के लिये ३० स्टैन्डर्ड एकड़ रखें तो मैं उसके हक में हूं क्योंकि उसको उस जमीन से ३०० रुपया माहवार की ग्रामदनी हो जायेगी ग्रौर उससे उस ग्रादमी का स्टैन्डर्ड ग्राफ लिविंग बढ़ जायेगा। लेकिन जो मियां बीवी है उनको तो ६० एकड़ तक रखने की इजाजत होनी चाहिये क्योंकि ग्राप ग्रौरतों को मरदों के बराबर हकूक देना चाहते हैं। ग्राप ग्रौरत का हक जायल न करें ताकि ग्रगर ग्रौरत चाहे तो ग्रपनी जमीन को बेच सके ग्रौर उसको राइट ग्राफ प्रापर्टी हो।

इसी तरह से बालिग लड़कों के राइट का सवाल है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि हमारी पालिसी चीन वालों या दूसरे कम्यूनिस्ट मुल्कों की तरह की नहीं है कि एक ग्रादमी की जायदाद ले लो ग्रौर उसको गोली मार दो। हम वह चीज नहीं करना चाहते। मैं तो ग्रापकी पार्टी का मेम्बर हूं। ग्रगर मैं सख्त बोलता हूं तो मैं तो ग्रापका कांशेंस एराउज़ करने के लिये ऐसा बोलता हूं। लेकिन मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि जिसकी जमीन इतना कम मुग्रावजा देकर ली जायेगी ग्रौर इस तरह से खोसी जायेगी उसको उतना ही दुःख होगा जैसा कि चीन के उन लोगों को हुग्रा होगा जिनको गोली मार कर उनकी जमीन छीन ली गई। मैं ग्रर्ज करता हूं कि यहां के लोग ग्रपने बाप दादा की जमीन को निहायत ग्रजीज मानते हैं।

श्री प्र० सि० दौलता (झज्जर) : गर चीन में जमीन ले लेते हैं तो वह दूसरी जिम्मेवारियां भी ग्रपने ऊपर ले लेते हैं। बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेवारी ग्रपने ऊपर ले लेते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ग्रापने यह फर्क देख लिया होगा, कम्युनिस्ट रेजीम का, मुझे तो नहीं मालूम।

चुनांचे मैं यह ग्रर्ज कर रहा था कि ग्राप इसमें थोड़ा ग्रमेंडमेंट कर दें। ग्राप कम्पेन्सेशन क्लाज में यह रखिये कि मारकेट वैल्यू दी जायेगी। यह छोटे ग्रादमियों की जमीनें है। ऐसे बड़े ग्रादमियों की जमीनें नहीं हैं जिनके पास पांच पांच हजार ग्रौर छः छः हजार एकड़ जमीन हो। पहले भी इसी तरह के मामले में पन्त जी के पास काश्तकार रोते ग्राये थे ग्रौर उन्होंने उनको ग्राश्वासन दिया था ग्रौर कहा था कि हम ठीक कर देंगे। उन्होंने ठीक किया भी होगा। तो एक तो मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कम्पेन्सेशन माकूल होना चाहिये। इसके ग्रलावा जैसा कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैंने अर्ज किया सीलिंग को इतना छोटा न रखा जाये । इसको और ज्यादा बढ़ाया जाये । आप सीलिंग मुकर्रर करते वक्त यह भी देखें कि सारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है । पंजाब में भी सीलिंग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वहां का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा हुआ है । इन दो बातों का ध्यान रख कर आप इसको आगे चलाइये इसके पहले आगे न चलाइये ।

इसके अलावा आप मुलाहिजा फरमायें कि चीफ कमिश्नर को कुछ एग्जेम्पशन देने की इजाजत दी गई है । इसमें भी काफी लूपहोल हैं । जिनकी चीफ कमिश्नर के पास पहुंच होगी उनका तो काम हो जायेगा ।

मैं अर्ज करता हूं कि जिस दिन यह कानून दिल्ली में नाफिज होगा वह कोई रेडलेटर डे होगा या ब्लैक लेटर डे होगा इस पर आप गौर करें । उसके बाद तो आपने दरवाजा ही बन्द कर दिया । आपने कहा कि उस दिन जो आरचर्ड होगा उस पर सीलिंग लागू नहीं होगी । मैं अदब से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या उसके बाद से आरचर्ड लगाने को मुमानियत हो जायेगी, क्या आइन्दा कोई बाग नहीं बना सकेगा । इसमें यह लिखा गया है कि जिसको चीफ कमिश्नर कह दें कि यह आरचर्ड है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जायेगा । जो उस दिन के बाद आरचर्ड बनाना चाहें उनको क्यों न एग्जेम्शन दिया जाये ।

इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो जनोन पब्लिक यूटिलिटी की है, मसलन क्रिमेशन ग्राउंड है, पास्चर ग्राउंड है या गोशाला है इनको इसकी जद से निकाल दीजिये ।

आपने लिखा है कि जो कम्पेक्ट एरिया हैं वहां भी .....

एक माननीय सदस्य : बाग को जो एग्जेम्शन दिया जायेगा वह सीलिंग के बाद दिया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसमें लिखा है कि जिसको चीफ कमिश्नर बाग कहेंगे उसको एग्जेम्प्ट किया जायेगा ।

यह ठीक है लेकिन आइन्दा के लिये आरचर्ड बनाने का दरवाजा बन्द नहीं कर देना चाहिये । कोई वजह नहीं है कि आइन्दा आरचर्ड बनाने का दरवाजा ही बन्द कर दिया जाये ।

कम्पेक्ट जमीनों के वास्ते भी गुंजाइश है, जिन पर हैवी इनवेस्टमेंट हो और जिन पर स्ट्रक्चर हो । लेकिन इसमें हैवी इनवेस्टमेंट को और स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है । इसको भी डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है । इसकी वजह से आपके पास बहुत शिकायत आयेगी ।

आप प्रोडक्शन में कमी नहीं चाहते । यही हम भी चाहते हैं । यहां कहा जाता है कि सीलिंग की जाती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए । मैं तो इसको नहीं मान सकता । आप सीलिंग से किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे । एक तरफ सरकार कहती है कि को आपरेटिव फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाइये और दूसरी तरफ बड़े खेतों को तोड़ कर वह उन के टुकड़े करने जा रही है । मैं इस बात से एग्री करता हूं कि छोटे छोटे, एक एक, डेढ़ डेढ़ एकड़ के खेतों से हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती और सौ, दो सौ, चार सौ एकड़ के खेतों में ही मिकैनिकल कल्टीवेशन हो सकती है और प्रोडक्शन बढ़ सकती है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बड़े खेत मौजूद हैं, उन को तोड़ कर उन के टुकड़े किये जा रहे हैं और छोटों को इकट्ठा करने की बात सोची जा रही है । अगर

सरकार का मंशा यह है कि आमदनी ज्यादा न हो, तो उस के लिए और तरीके हैं। वह उन पर एग्रीकल्चरल इनकम-टैक्स लगा सकती है। जितनी चीज लोग जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं, उसको सरकार खींच सकती है। लेकिन सरकार को यह तरीका अख्तियार नहीं करना चाहिए। इधर सरकार बड़े खेत बनाए और उधर बड़ों को छोटा बनाए, यह मुनासिब नहीं है, । ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं और यह उसूलन गलत है। कम से कम १०० एकड़ का खेत तो रखना ही चाहिए। १०० एकड़ के खेत का मालिक जितनी पैदावार करेगा, अगर उस खेत को दस दस एकड़ में तक्सीम कर दिया जायगा, तो उस में उतनी पदावार नहीं हो सकेगी। सरकार ने मिनिमम वेजिज एक्ट रखा हुआ है। वह उस को और सख्त कर सकती है। एक आदमी ज्यादा जमीन नहीं बो सकता। उसके गुजारे के लिए बोझ डाल दीजिए, ताकि लोगों को एम्प्लायमेंट मिले और लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन मैं इस किस्म के एक्सप्रोप्रिएशन के हक में नहीं हूं, जो कि कानफ़िस्केशन के बराबर है। यह वाजिब और दुरुस्त नहीं है। यह तरीका हमारी कास्टीचुएन्ट असेम्बली का नहीं था, हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का नहीं था। आप उनकी १९५५ की तकरीरों को पढ़िए। उन्होंने खुद फ़रमाया कि छोटी छोटी जमीनों के मुताल्लिक हम कम्पेन्सेशन के ला को नहीं चाहते। उन के अपने अल्फाज हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उन को लूट लेंगे। अगर आप चाहें, तो मैं सफ़हे दे सकता हूं। आप ४८४० सफ़हा देखिए। पंडित नेहरू साहब की स्पीच है। जब श्री हसन इमाम ने बीच में दखल दिया, तो उन्होंने कहा कि एडीक्वेट मिलना चाहिए।

इन सब बातों को देखते हुए यह बिल फिलहाल दिल्ली के लिए गैर-जरूरी है। यहां न तो बड़ी जमीनों की प्राबलम है और न छोटी जमीनों की। बाकी हिन्दुस्तान के लिये यह हरगिज रैटर्न न माना जायगा। इस लिए मेरी नाचिज राय में अगर इस बिल को वापस ले लिया जाता, तो बेहतर होता, लेकिन अगर ज्वायंट कमेटी को भेजा जा रहा है तो वे उसूल कायम किए जाने चाहिए, जो कि सारे हिन्दुस्तान के लिये मुनासिब और ठीक हों। इस में तीस एकड़ और कम्पेन्सेशन वगैरह के बारे में ऐसी बातें हैं, जिन से देश को नुकसान पहुंचेगा। सिविल कोर्ट के कम्पेन्सेशन के बारे में १८९४ से आज तक एक्ट चल रहा है —६४ बरस से वह एक्ट चल रहा है और वह बहुत मुफ़ीद साबित हुआ है। सरकार उस को न हटाये और उन उसूलों को खैर-बाद न करे, जो कि इतने बरसों तक हमारे देश में नाफ़िज रहे जिन से हमारे देश के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं।

Some Hon. Members *rose*—

Pandit Thakur Das Bhargava: जो मियादें रखी हुई हैं, वे बड़ी थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं .....

Mr. Speaker: I thought he had finished. Some hon. Members got up because they thought he had finished.

Shri Datar: Except him.

Mr. Speaker: Has he concluded?

Pandit Thakur Das Bhargava: No, Sir, I have not. At the same time, if hon. Members are so anxious I am not anxious to take much time of the House. I was saying that so far as limitation is concerned you have fixed three months or six moths. I should say, Sir, that in a matter like this, when the property will go away for all times, we should not fix such small periods of limitation. When I give you the amendments, Sir, you will find my suggestions.

जहां इस में तीन महीने किए हैं, वहां मैंने एक साल की मियाद की है। जहां सरकार

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ने थोड़ी मियाद रखी है, मैं ने उस को बढ़ाने की कोशिश की है। वह मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, अगर सरकार चाहती है कि लोग अपने हक़ूक़ का ठीक फ़ैसला करा सकें।

रिलिजस और चैरिटेबल इंस्टीच्यूशन्ज़ के लिए एक ख़ास क्लाज़ रखा हुआ है और वह है क्लाज़ १०(५)। उस में ऐसी इंस्टीच्यूशन्ज़ के बारे में लिखा है कि अगर वे गवर्नमेंट में वैस्ट कर जायें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार कम से कम उन को हाथ न लगाए। उन को वह अपनी किस्मत पर छोड़ दें। जिन्होंने ये रिलिजस और चैरिटेबल इंस्टीच्यूशन्ज़ बनाईं, जिन्होंने मंदिरों के साथ ज़मीनें दीं, उन की रूहों को वह ख़्वाहमख़्वाह तकलीफ़ न पहुंचाएं। जो ज़मीनें चैरिटी में दी गई हैं, उन को वापस ले लेना और सरकार को दे देना वाजिब नहीं है। कहा यह गया है कि जो ज़मीन ली जायगी, वह सोशल परपज़ के लिए ली जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां दर्ज है वह सोशल परपज़, जिस के लिए ज़मीन ली जायगी। एक क्लाज़ में लिखा है कि फ़लां एक्ट के नीचे किसी ग्राम के परपज़ के लिए ज़मीन दे दी जायगी और उस को चीफ़ कमिश्नर हाथ नहीं लगायेगा। लेकिन इस में यह दर्ज नहीं है कि जो ज़मीन, जो कि १६६९ बीघा होगी, ली जायगी, वह कितने आदमियों को दी जायगी और किस बेसिस पर दी जायगी। अगर बीस रुपए एकड़ ले कर उस के पांच सौ रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, तो यह जायज़ नहीं होगा। इस में यह दर्ज होना चाहिए कि जो १६६९ बीघे ज़मीन आयेगी, उस को सरकार किस तरह इस्तेमाल करेगी, ताकि हम को सैटिसफ़ैक्शन हो कि जिस ग़र्ज़ के लिए सरकार ने ज़मीन ली थी वह उस को उसी ग़र्ज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिर यह भी सवाल है कि वह ज़मीन क्यों न प्रोप्रायटरी बाडी में वैस्ट कर दी जाये, क्यों गवर्नमेंट में वह वैस्ट करे? कोई वजह नहीं है कि वह गवर्नमेंट में वैस्ट करे। अव्वल तो फ़ैमिली को डिप्राइव किया जाना और फिर प्रोप्रायटरी बाडी को भी हटाना, यह ठीक नहीं है। अंडर दि ला गवर्नमेंट से पहले प्रोप्रायटरी बाडी उस की हकदार है। अगर सरकार की ग़र्ज़ अच्छी होगी, तो यह हाउस कहेगा कि उसने ठीक किया है। लेकिन न तो ग़र्ज़ और न शरायत इस में दर्ज हैं, जिन पर उस को मिलेगी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत हेस्टिली ड्राफ़्टिड है और उस में तो वे बातें भी नहीं आती हैं, जो कि एक मामूली बिल में हम देखते हैं। इस में फ़िगर्ज़ नहीं हैं, परपज़ नहीं है और न ही इस का प्रोसीजर ठीक है। मैं समझता हूं कि इस को सिर्फ़ इस लिए लाया गया है कि सारे हिन्दुस्तान को डायरेक्शन दे दिया जाय और कोई हुज्जत न कर सके और यह कहा जा सके कि हम ने यह बिल पास कर दिया है, प्राविंसिज़ वाले क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई माक़ूल ग़र्ज़ नहीं है। इसको ज्वायंट कमेटी बड़े ग़ौर से देखे। अगर इस को सारे हिन्दुस्तान के लिए पेटर्न बनाना है, तो यह ज्वायंट कमेटी का काम होगा कि वह फ़िलवाके इस को पैटर्न बनाए, वर्ना रिपोर्ट कर दे कि दिल्ली में इस की ज़रूरत नहीं है।

Mr. Speaker: May I know who are all the hon. Members who have not yet taken part in any of the three Bills and who want to participate in this discussion?

Some Hon. Members *rose*—

Ch. Ranbir Singh: Sir, Rohtak is nearer to Delhi than any other constituency.

Mr. Speaker: Order, order. Barring those that I have already called, I

intend calling only those who have not taken part in the other two Bills. Has the hon. Member taken part in the discussion on any of the other two Bills?

Ch. Ranbir Singh: Yes, Sir; I spoke on the Manipur Bill. But I am conversant with Delhi better than most of the members.

Mr. Speaker: That is another matter. We cannot go on spending time on this. This is being referred to a Joint Committee. The principles are the same.

Ch. Ranbir Singh: My submission is that the contribution of those Members will be material who have intimate knowledge of Delhi State. Rohtak is much more nearer to Delhi than any other constituency.

Mr. Speaker: Order, order. Before I call an hon. Member who is near Delhi let me call an hon. Member who is in Delhi. Shrimati Subhadra Joshi.

Shri Supakar (Sambalpur): While speaking on the Manpur Bill, Sir, Ch. Ranbir Singh discussed Delhi and Punjab.

Mr. Speaker: I will call Shri Amjad Ali if he has not already spoken.

Shri Amjad Ali (Dhubri): I spoke on the Tripura Bill.

Mr. Speaker: Then I won't call him. There is no time.

Shri Amjad Ali: Sir, I would like to make one submission. There are three Bills relating to Tripura, Manipur and Delhi. If you restrict the time and say that an hon. Member can take part in the discussion only on one occasion, the hon. Minister ought to have moved his motions for consideration in respect of all the three Bills together and placed all the three Bills together for consideration of the House. He has moved them one by one. Each Bill has got its own principles, each one is distinct from the other and we have got to say something on each one of them.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): The principles are more or less the same, but under the rules we cannot move for consideration all the three Bills together.

Shri Amjad Ali: If you put a restriction now, we will not be able to express our views. Again, time limit is imposed only on some Members. I am constrained to remark, Sir, that the hon. Member who preceded me has taken full 45 minutes. The bell was rung nearly five times. I do not grudge his being given more time, but others who have stood up four or five times are not given any chance.

Pandit Thakur Das Bhargava: This is the first chance that I have got on these three Bills.

Mr. Speaker: Order, order. I will call all hon. Members. It is only a question of time. Why should I prevent an hon. Member from speaking?

Ch. Ranbir Singh: Yesterday, Sir, we were only two Members who wanted to speak and the Chair mentioned our names and said that they could easily be accommodated—myself and Pandit Jyotishi. As regards Shrimati Subhadra Joshi I have no grievance, but she represents Ambala even though she lives in Delhi. I represent Rohtak and live in Delhi. Rohtak is much more nearer to Delhi. Therefore, my claim is much more than any other hon. Member.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): We all live in Delhi for six months.

Shri Sarju Pandey (Rasra): Sir, I have not taken part in any of the three Bills.

Mr. Speaker: I will try to accommodate all hon. Members. Hon. Members should take only ten minutes

[Mr. Speaker]

each. If he has any special points, I shall call Shri Amjad Ali later on. Shrimati Subhadra Joshi.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, कई बरसों के इन्तजार के बाद यह बिल दिल्ली वालों के लिए सदन में आया है । जब यहां पर असेम्बली थी, तब भी इस बारे में कोशिश की गई, लेकिन तब से चलते चलते इस बिल को इतनी देर लग गई । हमारे कई आनरेबल मेम्बर्ज ने एतराज किया है कि दिल्ली में बहुत कम लोग हैं । जिन पर इसका असर होता है– सिर्फ ४६ या ४८ आदमी हैं ।

Mr. Speaker: Order, order. I would like to conclude this debate by 3.00 P.M. We have still 1½ hours. Only some four or five hon. Members more want to participate in this debate. If they take only 10 to 15 minutes we can accommodate all of them who have risen in their seats so far.

Shri Amjad Ali: May I point out one thing? If my information is correct, time is sometimes allotted party-wise. The majority party—the Congress Party—also has got a time limit. Have they not exceeded their time limit? On this side of the House, I am constrained to remark...

Mr. Speaker: It is not done in every case. It is done in the case of food debate and other special debates. So far as Bills are concerned it is not done. Sometimes I allot the time entirely to this side of House if they are interested in a particular Bill. Whoever is interested in a Bill I allow him to speak. Hon. Member would have seen from the proceedings that in some cases Members only from this side have spoken. We have no time now.

Ch. Ranbir Singh: My submission is that the names may be noted. Yesterday we were only two. Some more have come now. Some others may come in afterwards. There may also be a change in the Chair.

Mr. Speaker: All right. Those hon. Members who want to participate may rise in their seats and give their names.

Shri P. S. Daulta: Shri Sarju Pandey.

Shri Datar: He is not here.

Mr. Speaker: Shri Sarju Pandey was here. Then, Shri Amjad Ali; Ch. Ranbir Singh; Shri M. C. Jain; Shri C. K. Nair; Shri Ajit Singh Sarhadi; and Shri D. C. Sharma. Shri D. C. Sharma is far away from Delhi.

Ch. Ranbir Singh: My submission from land also; he has no connection with land. He is an absentee landlord whereas I am a cultivator.

Mr. Speaker: Among these hon. Members, how many spoke on the last occasion in connection with the other Bills?

Shri C. K. Nair (Outer Delhi): I did not speak.

Mr. Speaker: Anyway the Joint Committee is there. Those who have already spoken, I think, are Ch. Ranbir Singh and Shri Amjad Ali. Of course, they will be called after the others have spoken. About 11 names have been given to me.

Shri Datar: For how long will the debate go on, Sir?

Shri Speaker: I want to conclude it by 3 p.m. Does the hon. Minister want to reply?

Shri Datar: I have to reply to a number of points.

Mr. Speaker: I shall call him at 3 p.m.

Shri Datar: I might be called at 2.30 if possible.

Mr. Speaker: There are a large number of Members wishing to speak.

Shri Amjad Ali: Why should he reply?

Shri Datar: You can say everything against it and I should not reply! This is surprising.

Mr. Speaker: Very well; the debate will go on till 3 o'clock. I will then call upon the hon. Minister who may speak for half an hour. The Bill will conclude by 3.30.

Ch. Ranbir Singh: I am going to oppose the reference to the Joint Committee. No Member has so far opposed the reference to the Joint Committee.

Mr. Speaker: He can vote against it if he wants.

13·43 hrs.

[SHRI C. R. PATTABHI RAMAN *in the Chair*]

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय अभी यह कहा गया है कि दिल्ली में चूंकि बहुत कम आदमियों पर इसका असर होना है, ४५ या ४६ आदमी ही ऐसे है जिन पर इसका असर होगा, जिन से जमीन ली जा सकेगी, इस वास्ते इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहती हूं कि आदमियों का नम्बर चाहे कितना ही हो, चाहे वह कम हो या ज्यादा, दिल्ली के जो छोटे किसान हैं, जो छोटे लोग हैं, उनका यह दुर्भाग्य नहीं होना चाहिये कि चूंकि दिल्ली छोटी है और यहां पर कम लोगों पर इसका असर पड़ता है, इसलिये जो उसूल की बात है वह यहां पर न हो। यह गलत बात होगी। दिल्ली के लोगों ने अपनी असैम्बली को खो कर अपने बहुत से अधिकार खो दिये हैं। छोटी होने पर और असैम्बली न होने पर यह दूसरा उन पर कुठाराघात इस तरह से होने लगे कि यह छोटी सी चीज है और चाहे यह सारे हिन्दुस्तान के लिये अच्छी है, लेकिन यहां के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है तो इसको वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यह एटीच्यूड यहां पर लिया गया तो दिल्ली का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।

यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि हम लोग जब यह कहते हैं कि सीलिंग हो तो यह बात कतई गलत है कि वह गांवों में ही लगे, शहरों में न लगे, या हम गांवों और शहरों में फर्क करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि शहर की आमदनियों पर भी सीलिंग हो, शहरों में जिन की जायदादें हैं, उन पर भी सीलिंग हो और साथ साथ जो इतना नफा कमाते हैं, व्यापार से या दूसरे तरीकों से, कपड़े से या फूडग्रेंस से या लोहे से तथा दूसरे साधनों से उनकी आमदनी पर भी हमें उसी तरह से सीलिंग लगानी है, उसी तरह से उन पर भी पाबन्दी लगानी है और उसी तरह से कंट्रोल उन पर भी चाहते हैं जिस तरह से हम गांवों की जमीनों पर सीलिंग लगा कर कर रहे हैं। हम डिफरेंशियेशन करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी जगहों पर जो लाखों गरीब लोग हैं हिन्दुस्तान के, चाहे वे गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों, उन सब की उसी तरह से रक्षा हो, जिस तरह से हम गांव वालों की कर रहे हैं, या गांव में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

दूसरी चीज में यह अर्ज करना चाहती हूं कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई है और मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर रोशनी डालने की कृपा करें कि जहां हमने यह कहा है कि पांच आदमियों की जो फैमिली होगी, उसको ३० एकड़ जमीन रखने का हक हासिल होगा और अगर कोई एडिशनल मैम्बर उस फैमिली में होगा उसके लिये पांच एकड़ पर मैम्बर के हिसाब से जमीन रखने का उस फैमिली को अधिकार होगा और यह लिमिट ६० एकड़ तक जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी फैमिली में छः मैम्बर होंगे तो उस फैमिली को ३५ एकड़ जमीन रखने की इजाजत होगी। पर

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इसमें कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि जो कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी होगी—उसको कितनी जमीन रखने की इजाजत होगी। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें यह कह दिया गया है:—

"company or association or any other body of individuals".

मेरा ऐसा ख्याल है कि कोग्रोप्रेटिव सोसाइटीज इसमें कवर हो जाती हैं "एनी अदर बाडी ग्राफ इंडिविजुअल्स"। अगर वे इसमें कवर हो गईं तो इसका मतलब यह होगा कि अगर एक फैमिली में छः ग्रादमी हैं तो उनको तो ३५ एकड़ रखने की इजाजत होगी और एक कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी में जिसमें कम से कम कानून के मुताबिक ग्यारह आदमी होने चाहियें और अगर ग्यारह आदमी हैं, ग्यारह मैम्बर हैं, तो उसको सिर्फ ३० एकड़ रखने की इजाजत होगी। अगर यह इंटरप्रेटेशन सही है, तो मैं कहना चाहती हूं कि यह . . .

चौ० रणबीर सिंह : ३३३ एकड़।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : वह कैसे ?

इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि अगर मेरी वह इंटरप्रेटेशन सही है तो खतरा यह है कि हमारी जो कोग्रोप्रेटिव फार्मिंग की पालिसी है उसको इसमें एनकरेजमेंट देने की बात नहीं ग्रा सकती है और उसको एनकरेजमेंट देने की बात हो सकती है। इसमें पेज ११ पर यह जरूर कहा गया है कि चीफ कमिश्नर को यह इजाजत होगी कि तीन महीने के अन्दर अन्दर कोई अर्जी देगा तो उसमें कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी को एग्जेंम्पशन दी जा सकती है। पर इससे ऐसा मालूम होता है कि जो पुरानी कोग्रोप्रेटिव सोसाइटीज हैं उनके लिये एग्जेंम्पशन मिलने के चांस हैं मगर जो कोग्रोप्रेटिव सिस्टम है जोकि कोई पुराना सिस्टम नहीं है, आज भी हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं, भविष्य में भी उसको एनकरेजमेंट देना चाहते हैं, उसको एनकरेज करने की बात इसमें अगर है तब तो ठीक है और अगर नहीं है तो डाली जानी चाहिये कि उनके द्वारा जमीन खरीदने, आगे परचेज करने में तथा दूसरे मामलों में कोई रुकावट नहीं होगी। उनके लिये जमीन एक्वायर करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये और उन पर यह सीलिंग की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोग्रोप्रेटिव्स बनाने के लिये एनकरेजमेंट मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा कोग्रोप्रेटिव्स बनाने की कोशिश कर सकें।

इसमें इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि जो जमीन गवर्नमेंट लेगी उसका वह क्या करेगी। इसके बारे में साफ मेंशन इसमें नहीं किया गया है। मैं यह बात इसलिये अर्ज करना चाहती हूं क्योंकि इस हाउस में और हाउस के बाहर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार-बार यह कहा है कि हम कोग्रोप्रेटिव्स . . . . चाहते हैं और उन कोग्रोप्रेटिव्स में किसी तरह की जबर्दस्ती करना नहीं चाहते। मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये। तो फिर अगर हमारी नीति यह है कि इनको बढ़ावा दें तो जो जमीन फालतू मिले, वह मेरी राय में ज्यादा से ज्यादा कोग्रोप्रेटिव्स को देने की कोशिश की जानी चाहिये।

जैसा कि अभी भार्गव जी ने कहा कि कीमत का जहां तक ताल्लुक है कि किस कीमत पर वह दी जायेगी, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये। हम लोगों ने देखा है कि स्लम्स की तथा दूसरी जो जमीनें गवर्नमेंट ने लीं उनको कौड़ियों के भाव पर ली और उसको ज्यादा से ज्यादा प्राफिट लेकर के लोगों को दिया। बहुत अर्सा नहीं हुआ है, एक आध बरस ही हुआ है जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दखल देने के बाद से यह चीज बन्द हुई और गवर्नमेंट की जो जमीन है उसके बारे में यह

कहा गया कि वह मुनाफे पर न दी जाये, कम कीमत पर उसका स्लम डवैलर्स के लिये इस्तैमाल किया जाये । मेरी गुजारिश यह है कि जिस चीज को हम भुगत चुके हैं वह चीज दुबारा नहीं की जानी चाहिये और हमको यह प्रोवाइड करना चाहिये कि वह कास्ट-प्राइस पर, कम से कम कीमत पर, बिना किसी प्राफिट के कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दी जायेगी । इस तरह से हमें प्रोवाइड करना चाहिये जिससे प्राफिटीयरिंग करने की गुजाइश न रहे और ज्यादा प्राफिटीयरिंग करने की कोशिश न की जा सके । इतने ही चन्द शब्द मुझे कहने थे । मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब और यह हाउस उन पर गौर करेगा ।

Shri Amjad Ali: Mr. Chairman, Sir, I expected my hon. friend Shri Da ar to give, in his opening remarks, the quantum of land that is approximately available in connection with this measure which we are going to legislate. That is a point which I wanted to know from him. Till now, it has not been made known to us, and it has caused good enough difficulty. We do not know what quantum of land is now available to give effect to this Delhi Land Holdings (Ceiling) Bill which we are going to enact.

The other thing which I wanted to know from him was, when the survey and settlement was last done in Delhi, because that would be very material in calculating the compensation. Compensation, as my hon. friend, Pandit Thakur Das Bhargava, said, is rather too little for the population which is living in and roundabout Delhi. The city of Delhi is growing, and being the capital city, it is growing faster and faster. The rural population there have got to give up their lands, but in case they have to get compensation, at what rate will they get it? That was my anxiety also.

The other fact which I wanted to bring before the House is the manner of disposal of the excess land. In other land reform Acts, we find there is a chapter devoted to it. But here in this Bill, if I am allowed to make that remark, no thought has been given to that. No thought has been given to the mode in which excess lands will be distributed. In other land reform Acts, certain categories of people have been enumerated and the order of preferences has been given. The first preference to settle on excess lands goes to the people affected by calamity. The second preference goes to co-operative farms and the third preference goes to landless cultivators. This can be changed either way, but there ought to be a certain system in which you have got to dispose of the excess land which you have got.

Under clause 26, the Chief Commissioner may, on an application made to him in this behalf within three months from the commencement of this Act, exempt from the operation of section 3 certain categories of persons. Some farms or co-operative societies also would be given exemption from the operation of this Act. But one thing to which we should pay attention is, what the nature of the co-operative society should be. In some Acts where co-operative societies have been exempted, the membership is restricted to 20 or thereabout. A limit should also be fixed on the quantity of land that is going to be given to the co-operative societies. Unlimited quantity should not go to a co-operative society. For the consideration of the Joint Committee, I suggest that a proviso like this should be put in, *viz.*,

> "Provided that if, within three years from the commencement of this Act, or three years from the date of registration of such society, whichever is later, at least half of the total lands held by such society is not brought under cultivation, then the provisions of this Act shall apply.".

This should be put in. My friend, Pandit Bhargava, tried to make the

[Shri Amjad Ali]

point that co-operative societies should be exempted with a view to bet'er production. Better production nowadays means improved food cultivation by mechanised farms. That should also be one of the aims. Then, lands not exceeding 500 *bighas*, utilised for large-scale farming with the help of power-driven mechanical appliances by any person or society should also be exempted. Then, so far as specialised farms being used for cattle-breeding, dairy or wool-raising are concerned, these specialised farms must be of a particular type and of a particular nature. The quantity of land that way also should be fixed. No unlimited quantity should be given. That is my fear and we have to guard against it.

Then, one thing which I wanted to bring before the Joint Committee and which has been agitating the minds of several hon. Members of this House, is the definition of 'family'. I have consulted some of the land reform Acts in different States. Family should include a joint family. Joint family means a family whose members are descendants from a common ancestor and have a common mess and shall include wife or husband, as the case may be, but shall exclude married daughters and their children. Shri Supakar yes'erday was very much anxious to put in widowed daughter or daughter-in-law in the family where they remain and the old widowed mother. Of course, this will include all these people. There should also be a proviso, *viz.*, provided that a family consisting of fa her, mother, sons and unmarried daughters holding lands jointly shall be presumed to be joint in spite of having a separate mess. That is my contention.

Mr. Chairman: Then they belong to another family.

Shri Amjad Ali: Because the ancestral property continues to be in the joint family, it will continue that way. That is my contention.

One fact which was mentioned by Shrimati Renu Chakravartty was the ques'ion of bringing forward a board. Here a lot of power has been given to the Commissioner. The Commissioner, as a matter of fact, is a single person and a lot of power—from making rules to distribution of excess land—has been given to him. Boards come last in the queue. Whatever nomenclature you may adopt, there should be a board for the distribution of this excess land. In other places, we find that the land reforms board consis's of two non-official members nominated by the State Government, two officers of the Central Government, namely, the Secretary to the Government in the Revenue Department or any other officer of the State Government nominated by it and the Land Reforms Officer who shall also be the Secre'ary to the Board and a Chairman nominated by the State Government. This will be a very healthy provision.

Clause 10(1) deals with the amount of compensation that has to be paid and the mode of calculation. Unless we know at what rate they are going to pay, my fear is that they will get too little, and if they are given at this rate, no compensation at all will be due to them. That point also will have to be looked into by the Joint Committee.

14 hrs.

श्री० रणवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं श्री पटेल का जो यह अमेंडमेंट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिये सर्कुलेट किया जाये, मैं उसके खिलाफ हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्री महोदय ने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना क्यों मान लिया। इस बिल में जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम दिया गया है उसको देखने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सेस लैंड के एवज में जो मुआविजा देने वाली है वह

करीब १,१०,००० रुपये के होगा। कम्पेंसेशन के नाते कुल १ लाख १० हजार रुपये देने होंगे जब कि सेलेक्ट कमेटी जिसकी कि यह बिल सुपुर्द किया जा रहा है वह अगर एक दिन के लिये भी बैठे तो कम से कम उसके ऊपर १० हजार रुपया खर्च आयेगा जिसके कि मानी यह हुये कि दस फीसदी के करीब खर्चा तो इस बिल को ऐक्ट बनाने में आयेगा। जितना मुआविजा उन लोगों को मिलेगा उसका दस फीसदी खर्चा तो इस एक दिन की सेलेक्ट कमेटी की बैठक करने में ही हो जायगा। इतना ही नहीं, जिस तरह का यह कंट्रोवर-शियल ईश्यु है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यह कमेटी शायद ५, ६ दिन तक बैठे और उस हालत में बहुत आसानी से उसका डबल खर्चा हो सकता है और १० हजार या २० हजार तो खर्च हो ही जायगा। मैं यह इसलिये भी कहना चाहता हूं कि मेरे नुक्तेनिगाह से जिन भाइयों ने इस मुआविजे का हिसाब रक्खा है शायद उन्हें दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है कि दिल्ली में सरकार ने काफी एकड़ जमीन लोगों से ली है और उसका हिसाब भी सरकार के पास है। कोई भी आदमी उस हिसाब को देखे और मुझे बता दे कि दिल्ली में जहां कहीं भी सरकार ने जमीन ली है वह २, ३ और ४, ६ हजार रुपये एकड़ से कम ली है और उस हालत में मैं उस हिसाब को मान जाऊंगा। जब हर एक जगह सरकारी तौर पर जिस आदमी के पास भी सरप्लस जमीन हो अगर आज से एक साल पहले मान लिया जाये कि उसकी कोई १० या १५ एकड़ जमीन स्कूल बनाने के लिये या सड़क बनाने के लिये ली गई तो उसको उसका मुआविजा २०० रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया और अगर उसने किसी तरह से वकील के जरिये लड़ भिड़ करके अपनी उस जमीन को छुड़ा लिया तो उसको सिर्फ २००० रुपया प्रति एकड़ दिया गया। कहां ६००० या ४००० रुपये एकड़ और २००० रुपये एकड़ और कहां यह २०० रुपये एकड़? आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां तक दिल्ली का वास्ता है क्या उसके लिये यह ठीक है? इस सदन के अन्दर बहुत बड़े-बड़े माननीय सदस्य हैं और वे हर एक मामले पर बड़ी गम्भीरता से सोचते हैं लेकिन उन्हें अन्दाजा नहीं है कि दिल्ली के आसपास की जमीनों के क्या भाव हैं। यह भाई जिनके कि पास आज हम कानून के मुताबिक सरप्लस जमीन पाते हैं यह कोई किसी रजवाड़े के एजेंट नहीं हैं। किसी अंग्रेज को गदर में सहायता देने की वजह से उनको जमीन नहीं मिली है। उन्होंने वह जमीन खरीदी है और खरीदी है हजार रुपये और दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। अब से १० दिन पहले भी २, ३ हजार रुपये एकड़ के हिसाब से कुछ भाइयों ने जमीन बेची होगी। अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया और समझा कि सरकार जिस भाव उसको एक्वायर करेगी उसका हम इंतजार करेंगे तो उनको हम सजा दें यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरी खबर के मुताबिक तो शायद उन्हें कोई एक एकड़ जमीन भी देने वाला नहीं है। जितना रुपया हम इस प्रवर समिति के ऊपर खर्चेंगे उतना रुपया भी हम बतौर मुआविजे के लिये लोगों को देने वाले नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली के आसपास के काश्तकार रोहतक और दूसरी जगहों के काश्तकारों से कहीं ज्यादा समझदार हैं और जानकारी रखने वाले हैं। यहां तो जमीन की फसल क्या, जमीन की मिट्टी भी बिकती है और जमीन की मिट्टी भी दिल्ली के अन्दर जिस भाव से बिकती है उस भाव पर अन्य जगहों की फसल भी नहीं बिक पाती है, फसल के उतने दाम हम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे हालात में हम दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं।

इसके अलावा अभी जब पंडित ठाकुर दास भार्गव बोल रहे थे तो कई एक मेरे साथी बड़े जोर से बोल रहे थे। मुझे मालूम है कि आज का क्या कायदा है। एक तरफ ऐसे भाई जिन्होंने कि देहातों की

[चौ० रणबीर सिंह]

जमीनों को खरीदा और जमीन पर खेती की और जिनकी कि जमीन के ऊपर कोई गुजारे नहीं, उनके ऊपर हम क्या कायदा रखना चाहते हैं। जो यह २०० रुपये फी एकड़ का हमने हिसाब रक्खा है तो तीस एकड़ की कीमत जा कर ६००० रुपये होती है। अब इसके बरअक्स हम देखें कि हमारे श्री राधा रमण १० हजार या १४ हजार की मोटर के मालिक होंगे और उनके अलावा दूसरे और भी साथी हैं जो कि मोटर रखते हैं और मकान भी रखते हैं। अब यह भाई और मैं भी उनमें शामिल हूं कि जो यह कायदे कानून बनाते हैं। हम खुद ८००० रुपया साल कम से कम लेते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा ९००० रुपये साल के करीब हमको मिलता है। इसी तरह से यह प्लानिंग कमिशन के भाई जो कि हमें लैंड पर सीलिंग करने का सुझाव देते हैं वे खुद ३६ हजार रुपये साल तनख्वाह लेते हैं और वह सैक्रेटरी जिसने कि इसके ऊपर तसदीक की है वह ३० हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता है और यह भाई जो कि इस कानून के मुताबिक यह फैसला करने बैठेगा कि यह एक एकड़ जमीन सीलिंग में आती है या नहीं वह भी कम से कम १० हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो यह लम्बी-लम्बी तनख्वाहें पाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वे आदमी हैं जिनकी कि कुल जायदाद ६००० रुपये की है और यह कहां का इंसाफ है कि आप रूरल लोगों पर तो यह सीलिंग लगायें और शहर वालों पर जो कि उनसे अधिक आमदनी करते हैं, उनको टच न करें? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वे लोग जो कि ४०० रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं और ४०० रुपये बतौर भत्ते के लेते हैं, उनके मौरेल्स क्या हैं? वे आखिर जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें तो कि वे क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आमदनी पर सीलिंग लगे और मैं उसके हक में हूं। भले ही ५ एकड़ पर सीलिंग लगा दीजिये लेकिन ऐसा तो न कीजिये कि आप सिर्फ एक तबके पर ही यह सीलिंग लगायें और दूसरी तबके को अछूता छोड़ दें। अब एक तरफ जिनके कि पास है उनसे हम छीनते हैं और दूसरी तरफ जिसे हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं उसको मकान बनाने के लिये सरकार २५ हजार रुपये का कर्जा देती है। जिसे लो इनकम ग्रुप का आदमी कहते हैं उसे ८ हजार रुपया कर्जा सरकार मकान बनाने के लिये देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वे जरा जवाब दें कि क्या यह न्याय है? आज जो हमारा टैक्सेशन का आय-कर कानून है उसके मुताबिक ३६०० रुपये के ऊपर कोई इनकमटैक्स नहीं हो सकता। श्री मू० चं० जैन पर ३६०० रुपये तक कोई टैक्सेन नहीं हो सकता। उनके ऊपर कोई इनकम-टैक्स नहीं लगेगा। उनकी इनकम टैक्सेबिल नही है। और अगर दिल्ली के किसी काश्तकार की जमीन की कीमत ३६०० रुपये है तो वह जमीन सीलिंग में जरूर आनी चाहिये। इन बातों को हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये।

मैं मानता हूं कि इस बिल में एक-दो चीजें अच्छी रखी हैं। हम मानते हैं कि पांच या ६ घंटे काफी थे इसको पास करने के लिये। इसको पास करने में मुझे कोई बहुत ज्यादा एतराज भी नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक एकड़ जमीन भी तो कोई बाकी नहीं है। हमें उसूली तौर पर कानून बनाना है तो वह हम बना लें; इसको प्रवर समिति के सामने भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह देश का २०,००० रुपया और खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप देखें कि जिनकी जमीन मारगेज होगी उनके मुआवजे का किस तरह

के हिसाब होगा । मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि दिल्ली स्टेट के अन्दर जो जमीन मारगेज होती है वह दो हजार और डेढ़ हजार रुपये की एकड़ से कम में मारगेज नहीं होती । आप उसको देंगे २०० रुपया फी एकड़ और उसमें वे दोनों हिस्सेदार होंगे । मुआवजा मिलने के बाद जिसकी जमीन है उसको अपने पल्ले से १३०० रुपये उस आदमी को और देने होंगे जिसको जमीन मारगेज की गई है । क्या यह न्याय है ? आनरेबिल मिनिस्टर चाहें तो इस पर एक उसूल की बहस कर सकते हैं लेकिन यह न्याय तो नहीं है । सुभद्रा बहिन ने कहा कि दिल्ली में इस कानून से बहुत थोड़े आदमियों पर असर होगा और इस बिल को लाने की भी जरूरत थी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी । वह यहां पंजाब का कानून ला सकते थे, उसको यहां लागू कर सकते थे । इस सदन का इस कानून के लिये इतना वक्त लेना और प्रवर समिति का इतना समय लेना मेरी समझ में नही आता । आप यहां पंजाब का सीलिंग का कानून ला सकते थे, उत्तर प्रदेश का ला सकते थे या जिस किसी स्टेट के कानून को बहुत अच्छा समझते हों उसको ला सकते थे और लागू कर सकते थे । हमें कोई गिला नहीं होता । हम इस बात से कोई हमदर्दी भी नहीं है । लेकिन एक बात में जरूर चाहता हूं । एक जज के नाते हमको यह सोचना है कि न्याय होता है या नहीं । कम्पेन्सेशन को आप देखें कि एक तरफ राधा रमण जी का जिस वक्त मामला आता है, इम्पीरियल बैंक के शेयर्स के मुआवजे का मामला जब आता है तो जिस शेयर की फेस वैल्यू १०० रुपया है ......

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) मैंने तो शेयर नहीं खरीदे ।

चौ० रणबीर सिंह : मैं तो यह आपसे बाहर के नाते कह रहा था । तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस शेयर्स की फेस वैल्यू १०० रुपया है उनको यह सदन कम्पेन्सेशन देता है ३०० रुपया । यह ऐसी बात है जिसे हमें जरा शान्ति से सोचना चाहिये । मुझे मालूम नहीं, शायद इस बिल को लिखने वाले की जमीन से कोई दुश्मनी है । इसमें लिखा है कि अगर मकान बना हुआ हो—खेत के ऊपर और वह जमीन सीलिंग में आ जाती है तो मकान का कम्पेन्सेशन तो मारकेट वैल्यू के हिसाब से दिया जायेगा लेकिन खेत का कम्पेन्सेशन, जिसमें इस देश के लिये फसलें पैदा होती हैं, जिसमें देश के लिये लाखों मन गल्ला पैदा किया गया है उस खेत का मुआवजा २०० रुपया फी एकड़ के हिसाब से दिया जायगा चाहे वह उसकी कीमत का बीसवां हिस्सा हो या चालीसवां हिस्सा हो । यह हमारा न्याय है । तो यह सोचने की बात है ।

दूसरे मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें यह दिया गया है कि जो जमीन सीलिंग से बचेगी—वह एक, दो, चार एकड़ जो भी हो—वह जमीन गांव पंचायत को तभी मिल सकती है जब कि चीफ कमिश्नर साहब का उसके लिये हुक्म हो । उसमें न जाने चीफ कमिश्नर साहब कहां से आगये । इसके लिये आप कोई उसूल रख सकते थे जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक्ट में लिखा है कि २५ एकड़ तक जमीन गांव के लिये होनी चाहिये । इस तरह की बात आप यहां भी कर सकते थे । मैं तो चाहता हूं कि इसमें यह साफ किया जाना चाहिये कि जो जमीन बचेगी वह किन आदमियों को मिलनी चाहिये । मेरे मित्र ने कहा कि इसमें उनका हक है जिनकी जमीन हमने ली है । अभी कल परसों मुझे दिल्ली के एक भाई मिले जिनकी चार एकड़ जमीन में से दो एकड़ नहर के लिये ले ली गई । तो मैं समझता हूं कि जिस की जमीन से इस तरह दूसरे काश्तकारों को फायदा पहुंचता है उसको बची हुई जमीन दी जानी चाहिये ।

[चौ० रणबीर सिंह]

जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था, जहां इस सदन की इमारत है वहां पर कुछ लोगों की जमीन थी। उनकी जमीन लेकर उसमें से कुछ को तो बिल्कुल बेघर कर दिया गया और कुछ को पंजाब के पाकिस्तान वाले हिस्से में जमीन मिल गई। जब पार्टीशन हुआ तो वह वहां से उठ कर भागे और यहां दिल्ली में आये। यहां पर उनको क्वासी परमानन्ट बेसिस पर जमीन एलाट हुई। वे ७६ कुनबे थे। उनमें से ७० को तो हक मिल्कियत मिल गया लेकिन ६ बदकिस्मत हैं जो कि किरकी गांव में हैं। उनसे कहा जा रहा है कि क्योंकि यह एरिया शहर के एरिया में आ सकता है इसलिये उनको वहां से भी हटना होगा। यह जमीन उनको क्वासी परमानेंट बेसिस पर एलाट हुई थी। उस पर उन्होंने मकान बना लिये हैं, कुवें भी बना लिये हैं। उनका कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। उनको हटाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर हमें उनको हटाना पड़ता है तो उनकी जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर आती है। ऐसे आदमियों की जिनकी जमीन सड़क निकालने के लिये या देश और कौम के किसी और मफाद के लिये ली जाती है उनको सबसे पहले जमीन दी जानी चाहिये। उनका हक लेंडलैस लेबरर्स से भी ज्यादा है क्योंकि उनको जमीन से दो चार होने का तजुर्बा है। हमें देश के लिये अनाज की जरूरत है और यह लोग जमीन से अनाज पैदा कर सकते हैं।

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): Mr. Chairman, Sir, this Bill and the other two Bills pertaining to the Union territories have an importance of their own not only for the reason that they incorporate the recommendations of the Planning Commission in regard to land reforms, but also because they emanate from the Central Government and as such should constitute model Acts for the guidance of the rest of the States. Therefore I am happy that this Bill and the other two are being referred to Joint Committees for their consideration and we do hope that the Joint Committees will be able and in a position to give a mature consideration to the policy of the Planning Commission pertaining to ceilings.

I feel that it is too late in the day to oppose or even criticize the policy of ceilings in regard to land reforms. That has been accepted by and large by the country. This fits in with the socialistic pattern of society. But the question is that we have got to give each individual a certain standard of living in accordance with the conditions prevailing

I agree with several of the hon. speakers who have preceded me that ceiling pertaining to land in rural areas alone is discriminatory. In fact, there is a lot of heart-burning on this point. It would be well for the Government to consider it seriously that when they have particularly selected the rural areas for the last few years, there is no reason why a similar policy should not be adopted in relation to urban areas, particularly in regard to the holdings of houses and shop properties I do believe that the Government will give mature consideration to that fact, for the poor people are being covered by the ceilings while the richer people have so far escaped But that is not relevant to the issue with which we are concerned. What we are concerned with and what I am submitting for the consideration of this House is that while we accept the policy of ceilings, we must see that the ceiling should be commensurate with the standard of life which we want to give to the people.

Here, what I find is that this Bill envisages a ceiling of five to six acres for an individual. I personally feel that that is too little for the individual. Of course our remarks are only to be suggestions for the consideration of the Joint Committee. Therefore I shall be brief and put in my suggestions about some of the important provisions in the Bill. You will find that

the definition of the family says that—

> "'family', in relation to a person, means the person, the wife or husband, as the case may be, and the dependent children and grand children, of such person :"

You will find that in the farmer's family there are no dependent children except infants. Even a child, about the age of seven years, contributes to the family income and I believe contributes more than what he takes.

An Hon. Member: Still, he is called a dependent.

Shri Ajit Singh Sarhadi: He is not a dependent. Leave aside the question that he is a member of the Joint Hindu family and, as such, a shareholder, he is otherwise a contributory to the income of the family which a farmer makes by his effort and labour on his land. As such, by no stretch of language can he be called a dependent. He is an individual by himself by about the age of 7 years, who collectively with his father or his brother does labour on the farm or land and as such contributes to the income of the family, income which sustains the family. As such, he could not be called a dependent. Therefore, my respectful submission is that we must have a target, a certain ceiling of holding for an individual, whether a man, father, wife or child. I believe we must have a long range view of things and not a short range view. We have got to look into this question. We are not very much in favour of urbanisation. That emphasis, at present, has shifted more to agriculture than to anything else. We have got to develop the country in the agricultural sector. If that is our objective, and if we have to look to the long range view of things, I would submit, why should a boy of 17 or 16 be deprived of his own share? It would be well and in the fitness of things that the Joint Committee should not look at the ceiling from a family point of view, but should put in a ceiling from an individual's point of view. Because, the child of today is to be the father of to-morrow and the ceiling should be commensurate so that the child who is to be the man tomorrow may have a certain standard of living. That should be the consideration. You have got to give not only security to the family as such, but you have got to give them incentive also to live up. The child, as I said, is not at all a child in a farmer's family. The child is equally contributing to the income of the family. We should understand that he has got an interest, he has got a future and he has got to contribute to the income of the family. My first submission to the House and for the consideration of the Joint Committee is that the definition of 'family' should be recast in that way whereby the ceiling should be imposed for individual holding and not for a family holding.

Here, again, as I said, the relevant provisions of the Bill envisage a ceiling of five acres. It postulates that every child, if the family is above five, may be entitled to 5 acres. I do not know the incomes which the land in Delhi gives. I do not think it can give much more than the land in Punjab. If the family of the farmer is big and a child has got ambitions and aspirations that he should prosper and go ahead, do you think that the income from five acres would be sufficient for his education? That is one other point which you have got to consider. Can he meet the expenses on his education? We have not reached that stage or that set-up where education is given absolutely free.

I shall be brief; you need not look at the watch. I shall submit my last point regarding distribution. Distribution is a very important element in this Bill. I quite see that landless people should be provided. Certainly. But, I believe that if you envisage a future of collective farming or joint farming, this is the stage when you should start and go ahead with it. When you are having certain

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

surplus areas in the hands of the Government, there is no reason why you should not vest them entirely in the hands of panchayats. They should be able to look after them on the principle of joint cultivation. That also would fit in with the policy of the Government which they envisage and by which we foresee the future.

I should submit one last point. You do not find any definition of standard acre. This is a consolidated Act, complete in itself. It does not depend on any other Act.

An Hon. Member: It does; see clause 2(h).

Shri Ajit Singh Sarhadi: I have seen clause 2(h). I have seen the Delhi Land Reforms Act of 1954. That does not contain any definition of standard acre. I have got that here with me. Standard acre is a post-partition term which has emanated when the refugees were being settled, where a certain land with a certain income was considered to be standard and all the other lands, having different incomes, were computed by that standard. Therefore, there is a lacuna which I submit for the consideration of the Joint Committee. They will have to clarify it later.

Another point that I would like to submit for the consideration of the House and the Joint Committee is, we have got to make this Act in the light and context of the development of Delhi as the Capital. I fail to understand why the Government has not chalked out a policy about the future of Delhi. We have certainly got the Master Plan. I would submit that a very important consideration should be before the Government as to what is to be the future of Delhi. If you see the history of every capital of each big country in the last 30 or 60 years, —I am talking of Moscow or Paris or other Capitals—they have grown say from 25 lakhs to a population of 8 million. Here too, the way our capital is growing, we can well say that Delhi will also go to that extent. This point of view will have to be kept before the Joint Committee while it considers this Bill. The Joint Committee has also to take into consideration the future of Delhi. Certainly Government has acquired—I need not go much into it—certain areas round about Delhi and has taken possession of them—acquired small areas from the displaced persons and others who have purchased small areas for their personal use, not with the object of colonisation. That should be be kept in view.

The last point that I submit through the House to the Joint Committee for consideration is, how far it would be legal to give retrospective effect to the provisions of this Bill. Where a certain right has vested in an individual after the 10th of February, 1959, he becomes the owner of the property. How can you legally and constitutionally deprive him of that without payment of compensation? Of course, you can fix the quantum of compensation as you are doing at present. But, certainly, you cannot make it retrospective. I hope the Joint Committee will give consideration to this also.

The last point is about the quantum of compensation. This should also be kept in view. This point has been thoroughly dealt with in detail by my hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava. I would certainly say that when you come to the conclusion as to what compensation should be given, it should be, if not adequate, equitable.

Mr. Chairman: Shri M. C. Jain.

Shri C. K. Nair: I would like to have five minutes only.

Mr. Chairman: He is on the Joint Committee.

Shri C. K. Nair: I want to place some salient features before the House.

Mr. Chairman: This is the usual convention. Others have not even spoken.

श्री मू० चं० जैन : सभापति महोदय, हाउस में इस बिल को लाने के लिये मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को दिल से बधाई देना चाहता हूं। इसके कई कारण हैं। एक उनमें से यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नागपुर के पिछले सालाना इजलास में यह फैसला किया था कि जमीन पर सीलिंग लगने का जो कानून है वह सन् १९५९ से पहले तमाम हिन्दुस्तान में बन जाना चाहिये, यह मामला खत्म हो जाना चाहिये। मेरे जैसे आदमियों की उस वक्त यह ख्याल था कि १९५९ तक कभी यह काम खत्म नहीं हो पायेगा। दस बारह बरस से हम अपने इलैक्शन मैनिफैस्टोज में हिन्दुस्तान की जनता के साथ यह वादा करते आये हैं कि जहां तक जमीनों पर सीलिंग का ताल्लुक है—वैसे तो हर किस्म की इनकम पर भी सीलिंग लगनी चाहिये —उसके बारे में आखिर नागपुर में पिछले साल यह मामला जब कांग्रेस के सामने आया तो कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि यह तो और मुझे खुशी है कि उसने इसके हक में निश्चय किया और अब जहां तक सैंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज का ताल्लुक है, उसके बारे में आनरेबल होम मिनिस्टर साहब यके बाद दीगरे, कानून लाये हैं और उन पर विचार हुआ है और हो रहा है।

इस हाउस में इस बात पर बड़े जोर से बहस हुई कि साहब यह तीस एकड़, स्टैन्डर्ड एकड़ की जो सीलिंग रखी जा रही है, यह बहुत कम है। उनका खयाल था कि सीलिंग तो होनी चाहिये और शायद ही किसी मेम्बर ने यह कहा हो कि वह नहीं होनी चाहिये। यहां तक कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह कहें कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये। उन्होंने भी यह कहा कि सौ एकड़ की हद हो या इससे भी अधिक पर सीलिंग हो। चूंकि उनका दिमाग इस मामले में साफ नहीं था—कहना तो वह चाहते थे कि सीलिंग ही नहीं होनी चाहिये लेकिन उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा कह सकते—इसलिये यह कहा कि सौ एकड़ हो जाये, वगैरह वगैरह। इसवास्ते सीलिंग की बात को मानते हुये इस पर मतभेद रहा कि वह क्या हो।

चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि अब से पहले राजस्थान में तीस स्टैन्डर्ड एकड़ नहीं बल्कि तीस आर्डिनरी एकड़ पर सीलिंग लगी है, यह तीस एकड़ जमीन वह है जिस जमीन पर पानी नहीं लगता है, आबपाशी नहीं होती है और यह हद राजस्थान गवर्नमेंट ने तमाम पुरानी स्टेट्स जो उसमें शामिल हुई हैं, उनके लिये मुकर्रर की है।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मैं वहां के जमीन सुधार कानून के बारे में खासा अच्छा जानता हूं। वहां पर जहां तक भविष्य की एक्विजिशंस का ताल्लुक है, पंजाब और फार्मर पैप्सू दोनों में आइन्दा कोई तीस स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं कर सकेगा। विरासत के जरिये से या मरने के बाद जो हक मिलता है और चाहे खरीद कर जमीन ली जाती हो, किसी तरह भी हो, तीस स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक नहीं ले सकता है। अब अगर किसी के पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसके बारे में भी एक बिल इसी सैशन में और अगर इस सैशन में नहीं तो अगले बजट सैशन में वहां पेश हो जायेगा और पास हो जायेगा और किसी के पास तीस स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक जमीन नहीं हो सकेगी। जो फालतू जमीन इस तरह से होगी उसको ले कर के लैंडलेस लोगों या दूसरे आदमियों को देने की बात अभी से वहां की जा रही है।

तो जो दो बड़ी स्टेट्स हैं दिल्ली के आस पास की, उनका हवाला मैंने दे दिया

[श्री मू० चं० जैन]

है कि वहां पर तीस एकड़ की बात रखी गई है। जब वहां यह बात हो चुकी है तो यहां के लिये तीस एकड़ से अधिक की सीलिंग की बात करना और उसके हक में दलीलें देना और फिर यह कहना कि जो लैंडलार्ड हैं उनके बच्चों की तालीम कहां से हो सकेगी, वे मकान कहां से बना सकेंगे, मोटर कहां से रख सकेंगे, उनके दवा दारू का इन्तजाम कैसे हो सकेगा, वे अपने बाल बच्चों को कैसे विलायत भेज सकेंगे, एक बेमानी बात हो जाती है।

मुझे याद है, इसी हाउस में जब एक्सपेंडिचर टैक्स बिल आया था, वैल्थ टैक्स बिल आया था, गिफ्ट टैक्स बिल आया था तो भी मुझे पता है कि इन सरमायेदारों के नुमाइंदों ने कितने मगर मच्छ के आंसू बहाए थे और कहा था कि बच्चों को वे कैसे पढ़ायेंगे, उनको विलायत कैसे भेजेंगे, दवा दारू का कैसे इंतिजाम करेंगे और एक तूफान सा बरपा कर दिया था। उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि जो वैल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स बिल इस ऐवान ने पास किये थे वे चालीस करोड़ की आबादी में से पांच सात लाख लोगों पर ही ज्यादा से ज्यादा लागू होते थे। उन पांच सात लाख लोगों की दुहाई तो हम देते हैं लेकिन जो ३९ करोड़ ९० लाख लोग हैं, उनके जो बच्चे है उनका क्या बनेगा, उनकी हमें कोई परवा नहीं है।

हमारे बुजुर्ग मेम्बर ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है कि यह कानून ४०–५० आदमियों पर ही लागू होगा। उनके बच्चों का उनको फिक्र हो गया लेकिन ३०–३५ लाख लोग जो दिल्ली मे रहते हैं, उनके बच्चों का क्या बनेगा, इसका फिक्र उनको नहीं हुआ। कैसी तालीम इन बच्चों को मिलती है, किस तरह से ये लोग रहते हैं, इसका फिक्र उनको नहीं हुआ। मेरा तजुर्बा यह है कि इन बड़े बड़े खानदानों के बच्चे शायद ही इतने काबिल होते हों, जितने कि गरीब किसानों के बच्चे होते हैं, बड़े बड़े खानदानों के बच्चे इस घमंड में ही रहते हैं कि सौ दो सौ एकड़ जमीन उनके पास है और पढ़ने की परवा ही नहीं करते हैं, पढ़ते भी हैं तो इतने काबिल नहीं होते हैं, जितने कि गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में एवरेज होल्डिंग क्या है। चेयरमैन साहब, अगर आप आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि १ या २ फी आदमी एवरेज पर होल्डिंग बैठती है। इस तरह से पांच आदमियों के एक कुनबे की होल्डिंग छः एकड़ हो जाती है और उस छः एकड़ का हमारा एवरेज होल्डिंग हो जाता है। इस छः एकड़ के मुकाबले में यहां दिल्ली के कानून में हमने तीस स्टैंडर्ड एकड़ रखा है। मैं यहां पर यह भी बतला देना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड होल्डिंग होता है वह ऑर्डिनरी होल्डिंग से दुगुना या डेढ़ गुना हो जाता है और यह जमीन की किस्म पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान में जो एवरेज होल्डिंग है, उसके मुकाबले में हम यहां पर आठ या दस गुना रख रहे है। इतना होने पर भी लोगों को अगर तसल्ली नहीं है तो मेरी राय मे उनको तसल्ली कभी हो नहीं सकती है। मैं तो यह चाहता हूं कि पांच आदमियों के कुनबे के लिये जो आपने तीस स्टैंडर्ड एकड़ रक्खा है, यह भी अधिक है। पांच आदमियों की जगह पर यहां पर सात आदमी होने चाहियें और उसके बाद फी आदमी पांच पांच हो कर ६० स्टैंडर्ड एकड़ के बजाय ४० एकड़ किया जाना चाहिये और इससे अधिक जमीन रखने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिये। मैं विश्वास करता हूं कि ज्वायंट कमेटी इस पर अवश्य विचार करेगी।

एक और चीज का बार-बार यहां हवाला दिया गया है। वह यह है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और उनको कोट किया गया है और मेम्बर साहिबान ने कहा है कि वह यह नहीं चाहते हैं और वह नहीं चाहते हैं। चेयरमैन साहब, जहां तक मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीचिज को सुना है और समझा है मुझे याद है कि १९५३-५४ में इस लेंड रिफार्म के बारे में पंजाब की हुकूमत बहुत धीमी-धीमी रफ्तार से चल रही थी, उस वक्त मैं वहां की असेम्बली का मेम्बर था, और हमारा एक डेपुटेशन उनसे मिला था जो कि इन सुधारों में यकीन रखते थे उसके बाद जब वह पंजाब गए थे और वहां पर पब्लिक स्पीचिज की थीं, उन्होंने कहा था कि हमने अगर आजादी हासिल की है तो वह बड़े लेंडलार्डस के लिये नहीं की है बल्कि छोटे किसानों के फायदे के लिये की है और उस मुलाकात के बाद पंजाब के कानून में पचासों किस्म के जो नुक्स थे उनको दूर कर दिया गया। मैं यह नहीं कहता कि अब नुक्स नहीं है, वह है लेकिन कम हैं। इसवास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब का हवाला देना और यह कहना कि वह इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल गलत है। उनको इस तरह से कह कर गलत कोट करना है।

एक चीज पर बहुत जोर दिया गया है हमारे चौ० रणवीर सिंह जी ने तथा दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने मुआवजे के बारे में बहुत जोर शोर से कहा है, और बहुत तेजी दिखाई है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इसी एक्ट ने दफा ३१ कांस्टीट्यूशन की जब तरमीम की, उससे पहले कितना मुआवजा किसी प्रापर्टी को लेने पर दिया जाता है, यह बात जस्टिफियेबल थी, कोर्टस इस मामले में दखल दे सकती थीं और कह सकती थीं कि मुआवजा कम दिया गया है। लेकिन जब जगह जगह पर अदालतों ने और हाईकोर्टस ने दखल देना शुरू किया तो उसे देख कर इस एक्ट ने कांस्टीट्यूशन की उस दफा में तरमीम की और यह करार दिया कि जहां तक मुआवजे का सवाल है, जमीन के मुआवजे का—एस्टेट का वहां जिक्र है—उसके बारे में कहा गया कि मुआवजा बाजारी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है बल्कि जो भी पार्लियामेंट या एसेम्बलीज तै करेगी उस मुआवजे को कतई समझा जाएगा। अगर उनको मुआवजा बाजारी कीमत पर दे दिया गया तो यह सोशलिस्टिक पैटर्न जो हम लाना चाहते हैं, यह लेवलिंग अप और लेवलिंग डाउन हम करना चाहते हैं, यह ऊंच नीच का जो भेद खत्म करना चाहते हैं यह कैसे हो सकता है। किसी की जमीन ली जाए और उसका उसको सौ फीसदी मुआवजा दिया जाए, इसको मैं कतई नहीं मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह जरूर सबमिट करूंगा कि जहां तक मुआवजे का सवाल है वह मुआवजा मालियाने मालगुजारी का जो ४० गुना रखा गया है, इसको मैं कम समझता हूं और चाहता हूं कि यह और अधिक होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि ज्वायंट कमेटी इस पर जरूर गौर करेगी। अब मैं आप को दो एक रजेशन देता हूं। यह जो एग्जेम्पशन दिये गये हैं क्लाज २ में उनकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पर कैन्टोनमेंट या म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो जमीनें आ जायें उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह गलत बात है। म्युनिसिपैलिटियों के और कैन्टोनमेंट के भीतर या बाहर जो भी जमीनें आयें उन सब पर यह कानून लागू होना चाहिये।

इसी तरह से चीफ कमिश्नर को १० या १५ केसेज में अपनी मर्जी के मुताबिक काम करके एग्जेम्पशन का अख्त्यार दिया गया है। मैं इस बात को भी गलत समझता हूं, खास तौर पर जो आरचर्ड या फार्म के बारे में हैं। जो फार्म हैं उन के बारे में जान कर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक मेम्बर साहब ने कहा कि आपने आरचर्ड को भी कवर कर लिया।

[श्री मू० चं० जैन]

जब हमारे लिये बाग लगाने का भी हक नहीं है। हम अब बाग नहीं लगा सकेंगे। अगर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से फालतू जमीन हो क्या तभी बाग लगाया जा सकेगा ?

जब यहां पर एक्सपेंडीचर टैक्स बिल आया था उस वक्त जो बातें कही गई थीं, आज वही बातें हमारे सामने आ रही हैं। मुझ विश्वास है कि हाउस इस किस्म की बातों से एफक्ट नहीं होगा और जो तरक्की पसन्द बिल हमारे सामने हाउस में आया है, उसमें जो लूपहोल्स हैं उनको बन्द करने के लिये ज्वायंट कमेटी कदम उठायेगी ताकि यह बिल एक नमूने का बिल हो और सारे देश के सूबों की सरकार जो अभी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं वह जल्दी से इस काम में आगे बढ़ें और अपने कानून बनायें और जो हिन्दुस्तान की जनता से हमने लैंड रिफार्म करने का वादा किया है वह वादा जल्दी से जल्दी पूरा हो।

श्री सरजू पाण्डेय : सभापति महोदय, इस सदन में बहुत सारे तर्क सीलिंग के पक्ष में और विपक्ष में दिये गये। सब से पहिले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के किसान आन्दोलन में यह एक बहुत पुरानी मांग रही है कि जमीनों का बटवारा हो। मैं समझता हूं कि बड़े दिनों के बाद यह मौका आया है कि सरकार ने इस बात का साहस किया है कि यह कानून इस सदन के सामने पेश करे। इसलिये मैं आम तौर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि चूंकि हिन्दुस्तान में जीवन के हर क्षेत्र में डिस्पैरिटी है इसलिये जमीनों में भी रहनी चाहिये। यह एक अजीब तर्क है कि अगर कोई आदमी खराब काम करता हो तो वह यह तर्क उठाये कि पहले सब डाकुओं को सजा दे दो तब मुझ को दो। मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत तर्क होगा कि चूंकि सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में डिस्पैरिटी है इसलिये जब तक उसे न मिटा लिया जाय तब तक जमीन के मामले में उसे न मिटाया जाय। यह बुनियादी तौर पर गलत है। बल्कि सच बात तो यह है कि जो भी कदम इसके लिये उठाया जा रहा है वह स्वागत के योग्य है और लोगों को उसका स्वागत करना चाहिये।

दिल्ली की जमीन के बारे में जितना फर्क है लोगों में, उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनको यहां उद्धृत करूं। उससे कुछ ठीक तस्वीर मालूम हो जायेगी। इस सदन में एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन के सिलसिले में बताया गया कि जिन लोगों के पास एक एकड़ से कम जमीन है उन की संख्या ४·१ परसेंट है, जिन लोगों के पास एक एकड़ से ज्यादा और दो एकड़ से कम जमीन है उन की तादाद २७·२ परसेन्ट है। तीसरी तरह के लोग ऐसे है जिन के पास २·६ एकड़ से ले कर ५·१ एकड़ तक जमीन है, उन की तादाद १४ परसेंट है। इसी तरह से २५ से ले कर ५० एकड़ तक के लोगों की तादाद ५ परसेंट है और ५० एकड़ के उपर के जो लोग है उन की तादाद ०.७ परसेंट है। यानी इस तरह से बहुत थोड़े आदमी है जो कुल जमीन के मालिक है। फिर भी कहा जाता है कि चूंकि सब जगह डिस्पैरिटी है इसलिये यहां यह दूर नहीं होनी चाहिये। मैं तो मानता हूं कि यह सीलिंग जरूर होनी चाहिये। इस सिलसिले में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि चूंकि लोगों के पास बड़े बड़े महल हैं, चूंकि बड़ी बड़ी तन्ख्वाहें ली जाती है, चूंकि जो बड़े बड़े बिजिनेसमैन हैं उन की आमदनी पर सीलिंग नहीं की जा रही है इसलिये इस पर भी नहीं करनी चाहिये। इस सिलसिले में जो पैनल बनाया गया लैंड रिफार्म के लिये वह क्या चाहता है यह भी उद्धृत कर दूं तो ज्यादा अच्छा हो :

"Monopoly in land and the ownership of large areas by a small minority of the agricultural classes is an obstacle to economic development. This does not apply with equal force to industrial development where large scale organisations may lead both to great economy and efficiency.

इस का जवाब दिया है प्लैनिंग कमिशन ने, लेकिन यहां यह तर्क दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है और सारे सूबों में यह बिल आना चाहिये। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि हालांकि आप को मालूम है कि गावों की आज जो स्थिति है वह बहुत गिरी हुई है, और जो बिल आप ने इस लिये बनाया कि उस से लोगों को जमीन मिले, लेकिन वह उद्देश्य इस से पूरा नहीं होता। फिर भी कानून ऐसा है जिस की मंशा है कि जो जमीन बाकी बचेगी वह उन लोगों को बांटी जायेगी जिन के पास जमीन नहीं है। उस की भी कानून के अन्दर सही तरह से व्यवस्था नहीं की गई है। इस कानून में यह होना चाहिये था कि जो जमीन सीलिंग लगाने के बाद बचती है उस को उन लोगों में बांटा जायेगा जो बिल्कुल बगैर जमीन के हैं क्योंकि हमारे सामने यह उद्देश्य रहा है कि जमीन उन लोगों के पास जाय जो सही मानों में जमीन में खेती करते हैं। अभी तक यह बात नहीं है। एक तरफ लोगों के पास १६००, १७०० बीघा जमीन है जो बेकार पड़ी है; दूसरी तरफ खेती करने वालों के पास खेत नहीं हैं। पिछले दिनों में एक साहब ने कहा कि उस ने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है तो उस ने कहा कि १६०० एकड़ है। फिर उससे पूछा कि खेती कितने में करते हो, तो उसने जवाब दिया कि १०० बीघा तो अपने पास रखता हूं बाकी अपने नाम से रखता हूं लेकिन काम दूसरों से कराता हूं। इस तरह की व्यवस्था आज है कि जमीन पर नाम तो अपना लिखा लेंगे पर काम दूसरों से करा लेंगे और इस तरह से गलत तरीके से उस पर कब्जा बनाये रहेंगे। आज इसी तरह से लोग बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बने हुये हैं जो खुद खेती नहीं करते बल्कि दूसरों से खेती करा कर उन का शोषण करते हैं। इसलिये इस बिल में यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो जमीन फालतू बचे वह उन लोगों में बांटी जाय जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या जो स्वयम् खेतों में काम करते हैं।

इस के साथ ही साथ जो बिल में परिवार की परिभाषा की गई है वह, जैसा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, ठीक नहीं है। उस में यह जरूर कहा जाना चाहिये कि माइनर्स जो डिपेन्डेंटस् हैं, वह अगर इस के अन्दर नहीं आते हैं तो उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वह इस तरह की जमीनों पर कब्जा कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब यह बिल ज्वायेंट कमेटी में जाये तो ज्वायेंट कमेटी के मेम्बर साहबान इस क्लाज पर भी गौर करें और इस को ठीक तरह से तब्दील करें ताकि छोटे बच्चे इस में आ जायें।

एक चीज इस में कही गई। [illegible] क बड़े तमाशे की है। [illegible] स में कहा गया है कि जो आदमी ऐसी जमीन का मालिक होगा जो कि ३० एकड़ से ज्यादा होगी वह उस का मालिक तभी बन सकेगा जब कि वह उस के लिये मुआवजा दे सकेगा। यह कतई तौर पर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिये। उस को बगैर मुआवजा दिये हुए ही जमीन का मालिक मान लिया जाना चाहिये। अगर यहां पर मुआवजा देने की बात इस तरह से आती है तो गरीब आदमी तो कभी मुआवजा दे ही नहीं सकेंगे और जमीनों के मालिक भी नहीं बन सकेंगे।

इसी तरह से ऐसी बहुत सी धारायें इस बिल में हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिये और इस बिल को ज्वायेंट कमेटी में जरूर जाना चाहिये ताकि वहां इस को ठीक से तब्दील किया जा सके। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कभी

[श्री सरजू पाण्डेय]

प्रधान मंत्री का हवाला दिया जाता है, कभी किसी और का। मुझे याद है पिछले दिनों प्रधान मंत्री कहा करते थे कि मैं भारत माता को सुखी देखना चाहता हूं, और खुद ही वह समझाते भी थे कि भारत माता से उन का क्या मतलब है। वह कहते थे कि जब मैं भारत माता कहता हूं तो मेरा मतलब होता है देश के किसानों से। लेकिन सही बात यह है कि आज खेती करने वाले किसानों के पास जमीन नहीं है। इस लिये मैं समझता हूं कि जो ३० एकड़ की लिमिट रक्खी गई है वह बहुत ज्यादा है। मैं नहीं जानता कि बिल को पास करने के बाद बांटने के लिये कितनी जमीन प्राप्त हो सकेगी और उस की कीमत क्या होगी? किसी के लिये भी यह कहना मुश्किल है, लेकिन सब बातों को सोच कर इसे तय किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ज्वायंट कमेटी को इस के बारे में भी गौर करना चाहिये क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन को अगर कितनी ही जमीन दी जाय तो भी उन की गुजर नहीं हो सकती क्यों कि वे मिलके खेती नहीं करते। इस लिये ३० एकड़ जमीन जो दी जा रही है उस का नतीजा यह होगा कि बहुत थोड़ी सी जमीन निकल पायेगी उन लोगों के लिये जो उस पर खेती करना चाहते हैं। इस लिये अगर उसे बांटा जाय ऐसे आदमियों में जो खेती करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। खेती वाली जमीन ऐसे लोगों को ही जानी चाहिये जो खेती करने वाले लोग है, जो खेती करना चाहते हैं।

इस सिलसिले में मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि चीन ने गोली मार कर जमीन छीन ली। दुर्भाग्यवश चीन की चर्चा रोज ही यहां आ जाती है। मैं स्वयं चीन को डिफेंड नहीं करना चाहता और न मेरा यह काम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सोवियट देशों में या जिन देशों में समाजवादी व्यवस्था कायम है उन देशों के बारे में माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है, इस सदन के लोग भी वहां गये हैं और वहां पर एक मात्र तरीका है जिस से उन्होंने खाद्य समस्या को हल किया है। स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने पिछले दिनों जब फूड पर बहस हो रही थी, अपने बयान में फरमाया है कि चीन जिस ने खाद्य समस्या को हल कर लिया है वहां यह सवाल नहीं हुआ कि जनता को गोली मारो। मैं किसी बात के लिये थोड़ी सी जनता को गोली मारने के खिलाफ हूं। हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते। हम चाहते हैं कि जमीनों का बटवारा समुचित रूप से हो और उस बटवारे के लिये एक ऐसा कानून बनाया जाय जिस से कि ज्यादा से ज्यादा जमीन उन लोगों के हाथों में आये जो खेती करते हैं। बस मुझे यही निवेदन करना है।

Shri D. C. Sharma: This Bill deals with four problems. First of all, there is the problem of land ceiling. Then, there is the problem of compensation. Then, there is the problem of distribution of land, and last of all, there is the problem of the workability of this Bill.

Looking at the legislative map of India, I think that two types of legislation have been found to be very deficient, so far as their practicability is concerned. The first kind of such legislation is social legislation. We have passed so many Bills concerning our social problems, but I find that the net result is not in keeping with the trouble taken. Secondly, I would say that so many States have passed Bills regarding land legislation, but the net result has not been in proportion to the trouble taken. Therefore, the Joint Committee should see to it that this Bill is amended in such a way that the incidence of its practicability increases. I find that in this Bill there is more scope for subordinate legislation than I have found in a Bill of

corresponding length or corresponding number of clauses. On page 12, I find that almost all the letters of the alphabet have been exhausted so far as subordinate legislation is concerned. I think this kind of thing in itself is a guarantee of the unworkability of a Bill. So much is left to rules, so much is left to regulations and so many things are to be decided afterwards. It takes quite a lot of time to decide those things. When they are decided, they are placed on the Table of the House. But you cannot scrutinise them as well as you can scrutinise the Bill. Therefore, they are found to be not always up to the mark. The result is that so many loopholes occur and so many gaps are there. All these things make it possible for lawyers and for courts of law to make this Bill, I should say, absolutely ineffective.

For instance, take (g)—the manner of apportionment of compensation, or (h)—the manner of determination of the net annual income. All these things are left vague. They are left in the realm of speculation. They are left in the land of guesswork. I would be very reluctant to pass a Bill like this where the effective principles of implementation are left vague and to be decided afterwards. This is one of the big drawbacks of this Bill.

Now, I come to other aspects of this Bill. First of all, there is the question of ceiling on land. I welcome this in every way. Of course, I am not a landlord—thank God. I am not also a capitalist—thank God. I am just a kind of person who holds a few acres of land.

Dr. Krishnaswami (Chingleput): Landless labourer!

Shri D. C. Sharma: I hope to settle down on that land when I retire.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): When does he want to settle down?

Shri D. C. Sharma: I was saying that a ceiling of 30 acres of land is a good thing. But you must relate those 30 acres of land to the quality of land, as was done in some States. There are all kinds of lands, lands which are irrigated, lands which are not irrigated, lands which are very productive and lands which are not very productive. There are all kinds of lands and here you make a blanket provision of 30 standard acres of land. I think this is iniqutous. The number of acres should be related to the quality of the land and to its productivity. Unless that is done, I think this will not be a very wholesome proposition.

It has been said that the ceiling is very unjust. 60 standard acres have been put as the ultimate ceiling. I think that is a bit too much and I wish that that is reduced, because otherwise there will be only the principle of ceiling which will not work, which will result in no advantage and will not lead to any good to the people.

Again, I find that all kinds of exemptions have been given. There are so many exemptions that I do not know what land will be left for distribution among the people who want land. For instance, if you look at clause 26, you will find that exemption is given to orchards, then to farms in which heavy investments or permanent structural improvements have been made, then to specialised farms which are being run and also to farms which are being run by cooperative societies. All these kinds of exemptions have been given. My feeling is that there should be only one type of exemption and that should apply to a farm which is held by a co-operative society. All other kinds of exemption should be done away with. Otherwise, I think what we are giving with one hand we will be taking away with the other.

Then there is the question of compensation—in clause 10. I find that we have given a whole schedule of compensation. This schedule of com-

[Shri D. C. Sharma.]

pensation is, I should say, very much in excess of the social demands and social needs of our country. I wish that the schedule should be curtailed as much as possible. The present schedule will not meet the ends of social justice which we are trying to bring about by passing this Bill. Unless we try to make it equitable, I think it will not be possible to achieve that end.

There is another thing. Reference is made to bonds. In some cases, compensation will be given in terms of bonds. I have seen what has happened to the bonds which have been given to the refugees. I have seen how they have worked. I have also seen that these bonds have helped more those who are capitalists than those who have been holding them. There has been some kind of a very unfair trade in these bonds. I would say that if we are going to give bonds to these landlords, we should see to it that the bonds are made non-transferable. They should not be made use of in the black-market, as the bonds given to the refugees have been.

Then, clause 15 should be made more specific. I find in some States of India that the land which is given for the benefit of the village community is not used for the benefit of that community. It is used for the good of a few persons who hold the village community in their hands. Therefore, I believe that terms like 'works of public utility' and 'benefit to the community' should be specifically defined. Unless that is done, I am sure this land will be made use of by those persons who are supposed to run the village.

It has been said that it may be used by the *gaon* panchayats for such purposes as the Chief Commissioner may direct. I think that is all right. But I think even here we should not leave much to the discretion of the Chief Commissioner, because the Chief Commissioner cannot look into every detail of this Bill. So we should specify the uses to which the land can be put.

Then I feel that the landless agricultural labourers, for whom we are doing all these things in terms of the principle of distribution, will not get any hope from this Bill. They will not feel happy when they read this Bill. Of course, some persons will feel unhappy—those who have to part with their land. But their unhappiness if it is justified—I do not think it is justified—must be balanced by the happiness of those who are going to get that land.

15 hrs.

Here I find that there are definite rules for taking away the land; but there are not so definite rules for the distribution of the land. From that point of view, this Bill is not very good. So, we, in this Bill, should also say what use we are going to make of that land so far as the agricultural labourer is concerned. That is what has got to be done. If we do not do that, this land ceiling legislation, I should say, will be useful as far as it goes; but its social utility will be reduced at least by 75 per cent.

This Bill should be a message of hope to the persons who do not own any land. This Bill should be a message of good cheer to those who will get land. But there is not much in this Bill to give that hope. I hope the Joint Committee will include something in it which is in line with that idea.

Shri Gulam Mohideen (Dindigul): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I want to support this Bill on certain aspects.

Those who oppose the ceiling on land often say that we are distributing poverty. If a large number of our countrymen are suffering and if

poverty should be distributed there is no harm. They want to avoid ceiling on that ground. Certainly, if poverty should exist in India let everyone of us enjoy that poverty; let all unite together to drive away that poverty from our land. Let this ceiling be the first step towards driving away that poverty.

Only on land ceiling is brought, not other aspects. But those who oppose the ceiling take shelter by quoting this. Of course, land ceiling is the first step for ceiling on all properties. Sooner or later that must come; that is, the ceiling on all aspects of property. So, they need not take shelter under this and try to oppose the introduction of ceiling on land. We must thank the Government for bringing this land ceiling at least at this hour; we must welcome that whole-heartedly.

In India we see a large number of people suffering. There is no proper production; in every way people are suffering. Let those who enjoy land whole-heartedly bless this ceiling.

As our hon. friend Shri Sharma pointed out there is no benefit for actual tillers. I do not know about the system prevailing here. But in the South, the tillers are coolies on land. They do not enjoy any land; they are denied all facilities. If facilities are given, they are given only to those who are called tenants and those who take the lands on lease. Some provision should be made in this Bill by which the tillers who actually work in the fields may get the benefit of the ceiling.

Many who oppose this ceiling say that this will lead to communes as they are in China or in other countries. What of that? If communes are introduced then it will be only on the basis of democracy because we are wedded to democracy. We are not going to advocate dictatorship. Even if any system is introduced that will be only on the basis of democracy.

I would like to point out another thing. The extra land that is collected should be given only to cooperative societies because there cannot be any discrimination in distribution. Even if you distribute properly, everyone will try to find fault with it.

Mr. Chairman: All these things may be considered by the Joint Committee. The hon. Minister.

Shri Datar: Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the large number of hon. Members who have supported the principles of this Bill though here and there they have made a number of suggestions which I assure them will be considered by the Joint Committee. Unlike the debate on the two earlier Bills relating to Tripura and Manipur, some hon. Members here like my friend Pandit Thakur Das Bhargava and Shri Patel have raised some general or, according to them, fundamental objections to the provisions of this Bill. My hon. friend Shri Patel went to the length of threatening us with a bloody revolution unless whatever he suggested was carried out. May I request.....

Shri P. R. Patel (Mehsana): Sir, I did.....

Shri Datar: I am not yielding. That was what he said yesterday. May I request the hon. Member to see the signs of the times and to see what the Government has been doing all along.

Shri P. R. Patel: I would like to know from him whether if 80 per cent are put under conditions of poverty he thinks that the 20 per cent who must be possessing wealth will be very happy. What do you think of this? If you think.....

Shri Datar: Let not the hon. Member make another speech. I have heard him and I am going to answer all the points to the extent that it is necessary and relevant.

Sir, my hon. friend spoke about a class which I may tell you is not the

[Shri Datar]

class of agriculturists at all. As he knows and as all of us know there is a large class of absentee landlords. It is quite certain that they are disturbed because they are in possession of certain rights of a feudal character which have to disappear as early as possible.

May I point out here that the object of Government and of the party to which I have the honour to belong has all along been to help the agriculturists. I would place before him the history of Bombay State where in the first Congress Ministry, as early as 1937, the question of tenancy reform was taken in hand by the then Revenue Minister of the Bombay State who is now the Finance Minister of the Government of India. At that time also, I remember, there were some false prophets. I would not say false prophets but prophets who turned out entirely false, that is, all the threats that were issued were absolutely futile. May I also point out to him that in his very State of Bombay considerable reform has been effected and substantial rights have devolved upon the agricultural classes. Under these circumstances it would be entirely wrong to say that the Government are trying to benefit either the urban or other classes of people at the cost of the rural agricultural population or that the Bill has been conceived in the interest of the urban population. The Bill has been conceived to give substantial rights to those who are in occupation of the lands and also to the extent possible, to the other class of persons like the landless labour. While dealing with the earlier Bills, I have referred to the purposes mentioned in the Plan to which we are all—and the House also—committed. Therefore, that policy need not necessarily be written down in the form of clauses in this Bill. We are committed to that policy and I read long extracts from the report of the Planning Commission.

There were certain difficulties and we are trying to overcome all those difficulties and see that the rural population—eighty per cent of our people—benefits by these land reforms. I can assure my hon. friends that we are following a peaceful and progressive policy and there will never be a revolution of the type that he has been envisaging. What he has been envisaging is possibly the future of certain landlords who are likely to lose. . . (*Interruptions.*) It is perfectly correct. They were in possession of certain rights which have got to be curtailed. So, when the largest population in India is going to benefit by such land reforms, there can be no question of there being any threat, much less an effective threat. So far as my hon. friend is concerned, may I tell him that he is in the land of illusion if he says that we are not helping the agricultural classes. The object of this Bill as also the other similar Bills is to clothe the actual agriculturist with important rights and so it is necessary to take certain excess lands from persons who are having it. Naturally all such schemes would be in the interest of the actual agriculturists and the other landless labourers. We have been following this long-term policy.

The second point that was raised was that thirty acres should not be accepted as a ceiling. Pandit Thakur Das Bhargava went to the extent of bringing in all those arguments with which Parliament has been familiar since the time when the question of compensation was duly considered. He has brought in out of the context an observation made by the Prime Minister. It ill-fits in the present context. We are all pledged to see today that the agriculturists as a class come up because they are the largest number. The rural agricultural population has to be looked after in as best a way as possible and that is why these Bills have been brought forward.

The ceilings were considered long ago by the then Delhi State Assembly. They brought forward a Bill known as the Land Reforms Bill and in the very first Bill they laid down that 30 acres ought to be the ceiling. A few months ago, the House will remember, when there was an amendment to the Delhi Land Reforms Act, the Home Minister assured the House that as early as possible we would be bringing forward a Bill for the p urpose of placing a ceiling on existing holdings. In pursuance of that, the present Bill has been brought forward.

Again, as some hon. Members have pointed out, in the neighbouring States—in Punjab, for instance—the ceiling is 30 acres. Even now, if I mistake not, just at the present moment, a Bill laying down a ceiling is under debate in the Rajasthan Legislative Assembly and there also they have put down 30 acres as the limit. Taking into account all conditions, 30 acres is a fairly satisfactory ceiling. When there are more than five members in a family, naturally more land will be allowed to them. I would request the hon. Members to see the relevant section where it is clearly stated that a family consisting of five members is entitled to 30 acres and if there are more than five members an extra five acres for each additional member subject to a maximum of 60 standard acres will be permitted. A number of hon. Members put in certain objections to the definition of 'family'. The word 'family' has to be understood in this particular context in the present Bill. It does not in any way take away or supersede the general definition of the Joint Hindu family in regard to the other matters. Especially in the agricultural families you will ordinarily find that there are other members of the family, both male and female, who participate in actual cultivation. It is for that purpose that this definition has been brought forward. Again, you are aware that generally whenever we speak of a family, we speak of the family composing of five persons. That also has been taken into account. When a particular family is larger, further provision has been made and the higher limit is sixty standard acres. So far as the question of the standard acre is concerned, a standard acre has to be fixed for this purpose that in the Delhi territory rural areas, there are lands of different qualities and the productivity is not the same. That is why a unit has to be followed taking into account the quality of the land, especially its productivity so far as foodgrains or other crops are concerned. That is why in Delhi it was considered necessary that there ought to be a certain unit—not merely a physical unit. A standard acre may be 1½ acres or even 2 acres or it may be less. It all depends, as I have stated, on a number of points which have to be taken into account.

There was a criticism that nothing had been stated so far as the distribution of land is concerned. Similar objection was raised yesterday and I have pointed out that it has already been settled by the Planning Commission. I read long extracts to show the various classes of persons who are going to be provided for from these excess lands that would be with the Government. Landless labour will naturally be one. Therefore, the object is to benefit all those classes and to the extent possible. The co-operative societies. Some hon. Members raised the usual objections about the co-operative societies stating that they would be co-operative societies only in name. We are going to see to it that co-operative societies are started on a proper basis and they carry on their work in a perfectly *bona fide* and progressive manner. May I also point out that whenever there is a co-operative society, then, naturally, the extent of land with every member will also be taken into account. That is the reason why there ought to be no misgivings so far as this question is concerned.

[Shri Datar.]

An objection was raised to clause 26 of the Bill. I may point out that there are also other types of work that have to be developed to the extent that it is possible. There is no immediate exemption as such. What has been done? I would request the hon. Members to find out how restrictive words have been used so that exemptions will not be granted as a matter of course. Incidentally, it was contended that the Chief Commissioner should not be over-weighed with all these duties. But I may point out that it is the function of the Chief Commissioner as Chief Commissioner of the teritory to carry out all these items of work. He is the higest revenue officer so far as this aspect is concerned. Therefore, the Chief Commissioner is expected to carry out his work in as efficient a manner as possible.

I would not like to make a reference to the general complaint made against officers. I can assure the House that whenever any officer acts in a manner which is far from satisfactory, which is far from impartial, then always action is taken. A general criticism of this kind always comes from certain quarters, but I would request all hon. Members not to approach our officers with such a measure of mistrust to start with. It is said here:

> "The Chief Commissioner may, on an application made to him in this behalf within three months from the commencement of this Act, exempt from the operation of section 3,...."

We have said that he may exempt cases where he finds that such an exemption would be in the interests of the society. Cases where he finds that such an exemption would not be in the interests of the society he will not exempt at all. That is the reason why we have left it to the Chief Commissioner to consider this question. This aspect has not been noticed by the hon. Member there. So far as provision under (a) of this clause is concerned, it is said under (ii)

> "is being used as a farm in which heavy investment or permanent structural improvements have been made and which, in the opinion of the Chief Commissioner, is being so efficiently managed that its break up is likely to result in a fall in production;"

So far as these restrictive provisions are concerned, they are not absolute provisions. These ought to be taken into account and exemptions are not to be granted as a matter of course for every improvement, for every investment or permanent structural improvement.

Sir, we have to develop the country in all possible ways without prejudice to the interests of agriculturists.

Shri V. P. Nayar (Quilon): No gestures.

Shri Datar: No question of any lecture, I am explaining the whole position.

Shri V. P. Nayar: There is another word "gesture".

Shri Datar: If the hon. Member is hard of hearing I can't help.

Shri V. P. Nayar: I said that no gestures are needed.

Mr. Chairman: The hon. Minister is putting force into his arguments.

An Hon. Member: By gesture?

Shri V. P. Nayar: Sir, I may remind the hon. Minister, the Prime Minister said today that there should be no gestures.

Shri Datar: My argument is so strong that it does not require any gestures.

Sir, I was pointing out that structural improvements of a permanent character and heavy investments will not necessarily entitle a man to exemption; it would be only when it is found that they have been efficiently managed and their break up is likely to result in a fall in production that exemptions would be granted. Orchards have been referred to. Orchards, cattle breeding, dairy, wool business, all these questions are of great interest to the people of Delhi. In some cases, after carrying on with his agricultural work, an agriculturist can spend his time over these supplementary items of work which are a source of earning for the agriculturists. Under these circumstances, it would not be proper to say that exemptions ought not to be granted.

So far as other points are concerned, I need not go into them except to point out that this Bill, when it is made a law, will apply only to rural areas. In urban areas, naturally, the standard of price is entirely different. It is going to apply only to rural areas. That is the reason why there is a lot of difference between the prices in the urban areas and the prices in rural areas.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): What is rural in Delhi? There is nothing rural now in Delhi.

Shri Datar: We have got a definition.

Shri Braj Raj Singh: I know the definition.

Shri Datar: The definition is:

"the areas which, immediately before the 1st day of November, 1956, were included in a municipality or in a notified area under the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911, or in a cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924;"

If the hon. Member does not read, what can I do?

Shri Braj Raj Singh: I have read. I only wanted to know what remains rural in Delhi; everything is urban now.

Shri Datar: We are not to consider the provisions in this Bill which relate to rural areas by bringing in extraneous considerations so far as Delhi is concerned. Incidentally, subject to all that I have pointed out, I may also mention here that the proximity of the capital of India to this area carries with it certain benefits to the agricultural population also. Here and there it might also bring in some hardships of, perhaps, an unavoidable nature. All the same, all these factors have to be taken into account, and I am confident that in bringing this Bill forward Government are not actuated by any desire to oblige or benefit the urban classes. Our main interest is the rural classes. Therefore, I am confident that those hon. Members who have supported this Bill will find in this an indication of Government's desire to bring them to the highest economic level possible.

Mr. Chairman: I shall put Shri Patel's amendment first.

The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th February, 1960."

The motion was negatived.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 20 from this House, namely, Shrimati Sucheta Kripalani, Shri Radha Raman, Choudhry Brahm Perkash, Shri C. Krishnan Nair, Shri Naval Prabhakar, Shri Shivram Rango Rane, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Shri Bhola Nath Biswas, Shri Ramappa Balappa Bidari, Shri Surti Kistaiya,

[Mr. Chairman.]

Shri K. Periaswami Gounder, Shri Daljit Singh, Shri Bhakt Darshan, Swami Ramanand Shastri, Chaudhary Pratap Singh Daulta, Shri Mohan Swarup, Shri N. P. Shanmuga Gounder, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri N. G. Ranga; and Shri B. N. Datar

and 10 members from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

15.39 hrs.

MOTION *RE*: FOOD SITUATION

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"That the food situation in the country be taken into consideration."

Sir, I shall occupy a little time of the House in the beginning in order to indicate to the House the lines on which the mind of the Ministry and my mind has been working.

It has been a healthy practice during the last several sessions of this Parliament that we discuss the food situation in the country. Even when the food situation improves, I really desire that this practice should continue because food is a very live and vital subject to the majority of the people and—we cannot say—that time would never come when all that is to be said about it has been done or has been said.

I divide this subject into two parts; one is agricultural production which everybody wants to increase, and the second is distribution. I attach the greatest importance to the first part, namely, agricultural production. Before I come to the distribution aspect, which is sometimes controversial, on which there can be differences of opinion and very legitimate differences of opinion,—I grant that—let me take up agricultural production. So far as the increase in agricultural production is concerned, I do not think there is any Member or any section of this House which has not that particular responsibility at heart. Unfortunately, we have always said that there should be an increase in agricultural production, but hitherto it was not pursued with the real vigour and vitality with which it should have been pursued.

In retrospect, I would make a reference to the point to which I had made a reference elsewhere. That is, when we began our first Five Year Plan, the emphasis was all the time on agricultural production because we rightly realised that unless agricultural production was completed anything that we did would not succeed in that measure in which we want it to succeed. We started after spending several hundreds of crores of rupees the multi-purpose and river valley schemes, etc., so that more land could be brought under perennial irrigation. We began extremely well and got about six million or more acres under irrigation.

In the second Five Year Plan, although that emphasis was not changed, many other things came in. We perhaps lost that perspective, at